पंचम माला, खंड 65, अंक 5, शुक्रवार, 29 अक्तूबर, 1976/ 7 कार्तिक, 1898 (शक)

Fifth Series, Vol. LXV, No. 5, Friday, October 29, 1976/ Kartika 7, 1898 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

PARLIAMENT L.
Acc. No.

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

अठारहवां सत्र

Eighteenth Session

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

खंड 65 में अंक 1 से 11 तक हैं

Vol. LXV contains Nos. 1 to 11

लोक-सभा सचिवालय

नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT

NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।

This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 5, शुक्रवार, 29 अक्तूबर, 1976/7 कार्तिक, 1898 (शक)

No. 5, Friday, October 29, 1976|Kartika 7, 1898 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
सभा पटल पर रखे गए पत्र	Papers laid on the Table	1—4
संविधान (44वां संशोधन) विधेयक—	Constitution (Forty-fourth Amendment) Bill—	
खण्ड 8 से 17	Clauses 8 to 17	4—47

सदस्यों की वर्णानुक्रम सूची

पंचम लोक सभा

अ

अंकिनीडू श्री मगन्ती (गुडिवाडा)
अग्रवाल, श्री वीरेन्द्र (मुरादाबाद)
अग्रवाल, श्री श्रीकृष्ण (महासमुन्द)
अचल सिंह, श्री (आगरा)
अजीज इमाम, श्री (मिर्जापुर)
अंसारी श्री जियाउर्रहमान (उन्नाव)
अप्पालानायडु, श्री (अनकपल्ली)
अम्बेश, श्री (फ़िरोजाबाद)
अरविन्द नेताम, श्री (कांकेर)
अलगेशन, श्री ओ० वी० (तिरुत्तनी)
अवधेश, चन्द्र सिंह (फ़रुखाबाद)
अहिरवार, श्री नाथू राम (टीकमगढ़)

आ

आगा, श्री सैयद अहमद (बारामूला)
आजाद, श्री भगवत झा (भागलपुर)
आनन्द सिंह, श्री (गोंडा)
आस्टिन, डा० हेनरी (एरणाकुलम)

इ

इसहाक, श्री ए० के० एम० (बसिरहाट)

उ

उइके, श्री मंगरू (मंडला)
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी० (बडागरा)
उरांव, श्री कार्तिक (लोहारडागा)
उरांव, श्री टूना (जलपाईगुडी)
उलगनवी, श्री आर० पी० (वैल्लर

ए

एन्थनी, श्री फ्रैंक (नाम निर्देशित आंगल भारतीय)
एगती, श्री बीरेन (दीफू)

क

ककोटी, श्री रोबिन (डिब्रूगढ़)
कछवाय, श्री हुकम चन्द (मुरैना)
कटकी, श्री लीलाधर (नवगांव)
कडनापल्ली, श्री रामचन्द्रन (कासरगोड)
कतामुतु, श्री एम० (नागापट्टिनम)
कदम, श्री जे० जी० (वर्धा)
कदम, श्री दत्ताजीराव (हतकंगले)
कपूर, श्री सतपाल (पटियाला)
कमला कुमारी, कुमारी (पालामऊ)
कमला प्रसाद, श्री (तेजपुर)
कर्ण सिंह, डा० (ऊधमपुर)
कर्णी सिंह, डा० (बीकानेर)
कल्याणसुन्दरम, श्री एम० (तिरुचिरापल्ली)
कलिंगारायार, श्री मोहनराज (पोलाची)
कादर, श्री एस० ए० (बम्बई मध्य दक्षिण)
कांबले, श्री एन० एस० (पढ़रपुर)
काबले, श्री टी० डी० (लातुर)

काकोडकर, श्री पुरुषोत्तम (पंजिम)
कामाक्षैया, श्री डी० (नेल्लोर)
कावड़े, श्री वी० आर० (नासिक)
काहनडोल, श्री (मालेगांव)
किन्दर लाल, श्री (हरदोई)
किरुतिनन, श्री था (शिवगंज)
किस्कु, श्री ए० के० (झाड़ग्राम)
कुरील, श्री बैजनाथ (रामसनेहीघाट)
कुरेशी, श्री मोहम्मद शफ़ी (अनन्तनाग)
कुलकर्णी, श्री राजा (बम्बई उत्तर पूर्व)
कुशोक बाकुला, श्री (लद्दाख)
केदार नाथ सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
कैलास, डा० (बम्बई दक्षिण)
केवीचुसा, श्री ए० (नागालैंड)
कोत्राशट्टी, श्री ए० के० (बेलगांव)
कोया, श्री सी० एच० मोहम्मद (मंजेरी)
कौल, श्रीमती शीला (लखनऊ)
कृष्णन, श्री ई० आर० (सलेम)
कृष्णन, श्री एम० के० (पोन्नाणि)
कृष्णन, श्री जी० वाई० (कोलार)
कृष्णन, श्रीमती पार्वती (कोयम्बटूर)
कृष्णप्पा, श्री एस० वी० (हस्कोट)
कृष्णा कुमारी, श्रीमती (जोधपुर)

ख

खाडिलकर, श्री आर० के० (बारामती)
खां, आई० एच० (बारपेट)

ग

गंगादेव श्री पी० (अंगुल)
गंगादेवी, श्रीमती (मोहनलालगंज)
गणेश, श्री के० आर० (अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह)
गरचा, श्री देवेन्द्र सिंह (लुधियाना)
गावीत, श्री टी० एच० (नानदरबार)
गांधी, श्रीमति इंदिरा (रायबरेली)
गायकवाड़, श्री फ़तेहसिंह राव (बड़ौदा)
गायत्री देवी, श्रीमती (जयपुर)
गिरि, श्री एस० बी० (वारंगल)
गिरि, श्री वी० शंकर (दमोह)
गिल, श्री महेन्द्र सिंह (फ़िरोज़पुर)
गुप्त, श्री इन्द्रजीत (अलीपुर)
गुह, श्री समर (कन्टाई)
गेंदा सिंह, श्री (पदरोना)
गोखले, श्री एच० आर० (बम्बई उत्तर पश्चिम)
गोटखिन्डे, श्री अण्णासाहिब (सांगली)
गोगोई, श्री तरूण (जोरहाट)
गोदरा, श्री मनीराम (हिसार)
गोपाल, श्री के० (करूर)
गोपालन, श्री ए० के० (पालघाट)
गोमांगो, श्री गिरधर (कोरापुट)
गोयन्का, श्री आर० एन० (विदिशा)
गोस्वामी, श्री दिनेश चन्द्र (गोहाटी)
गोस्वामी, श्रीमती विभा घोष (नवद्वीप)
गोहेन, श्री सी० सी० (नाम निर्देशित आसाम का उत्तर पूर्व सीमान्त क्षेत्र)
गोडफ्रे, श्रीमती एम० (नामनिर्देशित आंग्ल भारतीय)
गौडर, श्री जे० माता (नीलगिरि)
गौडा, श्री पम्पन (रायचूर)
गौतम, श्री सी० डी० (बालाघाट)

घ

घोष, श्री पी० के० (रांची)

च

चकलेश्वर सिंह, श्री (मथुरा)

चटर्जी, श्री सोमनाथ (बर्दवान)
चतुर्वेदी, श्री रोहन लाल (ऐटा)
चन्द्र गौडा, श्री डी० वी० (चिकमगलूर)
चन्द्रप्पन, श्री सी० के० (तेल्लीचेरी)
चन्द्र शेखर सिंह, श्री (जहानाबाद)
चन्द्र शेखरप्पा वीर बासप्पा, श्री डी० बी० (शिमोंगा)
चन्द्राकर, श्री चन्दूलाल (दुर्ग)
चन्द्रिका प्रसाद, श्री (बलिया)
चव्हाण, श्रीमती प्रेमलाबाई (कराड़)
चव्हाण, श्री यशवन्तराव (सतारा)
चावड़ा, श्री के० एस० (पाटन)
चिक्कलिंगैया, श्री के० (मांडया)
चित्तिबाबू, श्री सी० (चिंगलपट)
चिन्नाराजी, श्री सी० के० (तिरुपत्तूर)
चेलाचामी, श्री ए० एम० (टेंकासी)
चौधरी, श्री अमर सिंह (मांडवली)
चौधरी, श्री ईश्वर (गया)
चौधरी, श्री त्रिदिव (बरहमपुर)
चौधरी, श्री नीतिराज सिंह (होशंगाबाद)
चौधरी, श्री बी० ई० (बीजापुर)
चौहान, श्री भारत सिंह (धार)

छ

छुट्टन लाल, श्री (सवाई माधोपुर)
छोटे लाल, श्री (जैल)

ज

जगजीवनराम, श्री (सासाराम)
जदेजा, श्री डी० पी० (जामनगर)
जनार्दनन, श्री सी० (त्रिचूर)
जमीलुर्रहमान, श्री मुहम्मद (किशनगंज)
जयलक्ष्मी, श्रीमती वी० (शिवकाशी)
जाफ़र शरीफ़, श्री सी० के० (कनकपुरा)
जार्ज, श्री ए० सी० (मुकुन्दपुरम)
जार्ज, श्री बरके (कोट्टायम)
जितेन्द्र प्रसाद, श्री (शाहाजहांपुर)
जुल्फ़िकार अली खां, श्री (रामपुर)
जोजफ़, श्री एम० एस० (पीरमाडे)
जोरदार, श्री दिनेश (माल्दा)
जोशी श्री जगगन्ननाथ राव (शाजापुर)
जोशी श्री पोपटलाल एम० (बनसकंठा)
जोशी श्रीमती सुभद्रा (चांदनी चौक)

झ

झा, श्री चिरंजीव (सहरसा)
झा, श्री भोगेन्द्र (जयनगर)
झारखण्डे राय, श्री (घोसी)
झुझुनवाला, श्री विश्वनाथ (चितौड़गढ)

ट

टोम्बी सिंह, श्री एन० (आन्तरिक मनीप

ठ

ठाकुर, श्री कृष्णराव, (चिमूर)
ठाकरे, श्री एस० वी० (यवतमाल)

ड

डागा, श्री मूल चन्द (पाली)
डोडा, श्री हीरा लाल (बांसवाड़ा)

ढ

ढिल्लों, डा० जी० एस० (तरनतारन)

त

तरोडकर, श्री वी० बी (नान्देड़)
तुलसीराम, श्री वी (पेछापल्लि)
तुलाराम, श्री (घाटमपुर)
तिवारी, श्री डी० एन० (गोपालगंज)
तिवारी, श्री रामगोपाल (बिलासपुर)

तिवारी, श्री शंकर (इटावा)
तिवारी, श्री चन्द्रभान मनी (बलरामपुर)
तेवरी श्रीपी० के० एम० (रामनाथपुरम)
तेयब हुसेन श्री (गड़गांव)

द

दंडपाणि श्री सी० डी० (धारापुरम)
दत्त श्री बीरेन (त्रिपुरा पश्चिम)
दंडवते प्रो० मधु (राजापुर)
दरबारा सिंह श्री (होशियारपुर)
दलबीर सिंह श्री (सिरसा)
दलीप सिंह श्री (बाह्य दिल्ली)
दामाणी श्री एस० आर० (शोलापुर)
दास; श्री अनाधि चरण (जाजपुर)
दास; श्री धरनीधर (मंगलदायी)
दास; श्री रेणुपद (कृष्णनगर)
दासचौधरी, श्री बी० के० (कूच बिहार)
दासप्पा, श्री तुलसीदास (मैसूर)
दिनेश सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
दीक्षित; श्री गंगाचरण (खण्डपा)
दीक्षित• श्री जगदीश चन्द्र (सीतापुर)
दीबीकन, श्री (कल्लाकरीची)
दुमादा, श्री एल० के० (डहानू)
दुबे; श्री ज्वाला प्रसाद (भण्डारा)
दुराईरासु, श्री ए० पेरम्बूलूर)
देव; श्री एस० एन० सिंह (बांकुरा)
देव, श्री दशरथ (त्रिपुरा पूर्व)
देव, श्री पी० के० (कालाहांडी)
देव, श्री राज राजसिंह (बोलनगीर)
देशमुख, श्री के० जी० (अमरावती)
देशमुख, श्री शिवाजी, राव एस० (परभणी)
देशपांडे, श्रीमती रोजा (बम्बई मध्य)
देसाई, श्री डी० डी० (कैरा)
देसाई, श्री मोरारजी (सूरत)
द्विवेदी, श्री नागेश्वर (मछलीशहर)

ध

धर्मगज सिंह, श्री (शाहाबाद)
धामनकर, श्री (भिवंडी)
धारिया, श्री मोहन (पूना)
धुसिया, श्री अनन्त प्रसाद (बस्ती)
धोटे, श्री जांबुवत (नागपुर)

न

नन्दा, श्री गुलजारीलाल (कैथल)
नरेन्द्र सिंह, श्री (सतना)
नायक, श्री बक्शी (फूलबनी)
नायक, श्री बी० बी० (कनारा)
नायर, श्री एन० श्रीकान्तन (क्विलोन)
नायर, श्रीमती शकुन्तला (केसरगंज)
नाहाटा, श्री अमृत (बाडमेर)
निबालकर, श्री (कोल्हापुर)
नेगी, श्री प्रताप सिंह, (गढवाल)

प

पण्डा, श्री डी० के० (भंजनगर)
पंडित, श्री एस० टी० (भीर)
पजनौर, श्री अरबिन्द बाल (पांडेचेरी)
पटनायक, श्री जे० बी० (कटक)
पटनायक, श्री बनमाली (पुरी)
पटेल, श्री अरबिन्द एम० (राजकोट)
पटेल, श्री एच० एम० (ढ़ढुका)
पटेल, श्री नटवरलाल (मेहसाना)
पटेल, कुमारी मणिबेन (साबरकंठा)
पटेल, श्री नानू भाई एन० (बलसार)
पटेल, श्री प्रभुदास (डाभोई)
पटेल, श्री आर० आर० (दादर तथा नगरहवेली)

पन्त, श्री कृष्ण चन्द्र (नैनीताल)
परमार, श्री भालजीभाई (दोहद)
पालोडकर, श्री माणिकराव (औरंगाबाद)
पासवान, श्री राम भगत (रोसेरा)
पहाड़िया, श्री जगन्नाथ (हिंडौन)
पांडे, श्री कृष्ण चन्द्र (खलीललाबाद)
पांडे, श्री तारकेश्वर (सलेमपुर)
पांडे, श्री दामोदर (हजारीबाग)
पांडे, श्री नरसिंह नारायण (गोरखपुर)
पांडे, श्री रामसहाय (राजनन्द गांव)
पांडे, डा० लक्ष्मीनारायण (मन्दसौर)
पांडे, श्री सरजू (गाजीपुर)
पांडे, श्री सुधाकर (चन्दौली)
पाओकाई, हाओकित, श्री (ब्राह्मनीपुर)
पाटिल, श्री अनन्तराव (खेड़)
पाटिल, श्री ई० वी० विखे (कोपरगांव)
पाटिल, श्री एस० वी० (बागलकोट)
पाटिल, श्री कृष्णराव (जल-गांव)
पाटिल, श्री टी० ए० (उस्मानाबाद)
पाटिल, श्री सी० ए० (धूलिया)
पाणिग्रही, श्री चिन्तामणि (भुवनेश्वर)
पराशर, प्रो० नारायण चन्द (हमीरपुर)
पारिख, श्री रसिकलाल (सुरेन्द्र नगर)
पार्थासारथी, श्री पी० (राजमपैट)
पिल्ले, श्री आर० बालकृष्ण (मावेलिकरा)
पुरती, श्री एम० एम० (सिंहभूमी)
पेजे, श्री एस० एल० (रत्नागिरि)
पैन्यूली, श्री परिपूर्णानन्द (टिहरी गढ़वाल)
प्रधान, श्री धनशाह (शाहडोल)
प्रधानी, श्री के० (शौरंगपुर)
प्रबोध चन्द श्री (गुरदासपुर)

ब

बनमाली बाबू श्री (सम्बलपुर)
बनर्जी श्री एस० एम० (कानपुर)
बनर्जी श्रीमती मकुल (नई दिल्ली)
बनेरा श्री हेमेन्द्र सिंह (भीलवाड़ा)
बड़े श्री आर० वी० (खरगोन)
बरूआ, श्री बेदब्रत (कालियाबोर)
बर्मन, श्री आर० एन० (बलूरघाट)
बसू, श्री ज्योतिर्मय (डायमण्ड हार्बर)
बसुमतारी, श्री डी० (कोकराझार)
बाजपेयी, श्री विद्याधर (अमेटी)
बादल श्री गुरदास सिंह (फाजिलका)
बाबूनाथ; सिंह श्री (सरगुजा)
बारूपाल, श्री पन्नालाल (गंगानगर)
बालकृष्णन, श्री के० (अम्बलपुझा)
बालकृष्णैया, श्री टी० (तिरूपति)
बासप्पा, श्री के० (चित्रदुर्ग)
बिष्ट, श्री नरेन्द्र सिंह (अल्मोड़ा)
बीरेन्द्र सिंह, राव, श्री (महेन्द्रगढ़)
बूटासिंह, श्री (रोपड़)
बेरवा, श्री ओंकार लाल (कोटा)
बेसरा, श्री सत्य चरण (दुमका)
ब्रजराज सिंह, कोटा, श्री (झालावाड़)
ब्रह्मानन्दजी, श्री स्वामी (हमीरपुर)
ब्राह्मण, श्री रतनलाल (दार्जिलिंग)

भ

भगत, श्री एच० के० एल० (पूर्व दिल्ली)
भगत, श्री बी० आर० (शाहाबाद)
भट्टाचार्या, श्री एस० पी० (उलुबेरिया)
भट्टाचार्य, श्री जगदीश (धाटल)
भट्टाचार्य, श्री दीनेन (सीरमपुर)
भट्टाचार्य, श्री चपलेन्दु, (गिरिडीह)
भागीरथ, भंवर, श्री (झाबुआ)
भार्गव, श्री बशेश्वर नाथ (अजमेर)

भार्गवी, तनकप्पन श्रीमती (अडूर)
भाटिया श्री रघुनन्दन लाल (अमृतसर)
भीष्मदेव, श्री एम० (नगरकरनूल)
भुवाराहन, श्री जी० (मैटूर)
भौरा, श्री भान सिंह (भटिंडा)

म

मलिक, श्री मुख्तियार सिंह (रोहतक)
मंड, श्री जगदीश नारायण (गोंडा)
मंडल, श्री यमुना प्रसाद (समस्तीपुर)
मल्लिकार्जुन, श्री (मेडक)
'मधुकर', श्री कमला मिश्र (केसरिया)
मनहर, श्री भगतराम (जंजगीर)
मनोहरन, श्री के० (मद्रास उत्तर)
मल्होत्रा, श्री इन्द्रजीत (जम्मू)
महन्ती श्री सुरेन्द्र (केन्द्रपाडा)
महाजन, श्री वाई० एस० (बुलडाना)
महाजन, श्री विक्रम (कांगडा)
महापात्र, श्री श्याम सुन्दर (बालासोर)
महाराज सिंह, श्री (मैनपुरी)
महिषी, डा० सरोजिनी (धारवाड़ उत्तर)
माझी, श्री भोला (जमुई)
मांझी, श्री कुमार (क्योंझर)
मांझी श्री गाजाधर, (सुन्दरगढ़)
मारक, श्री के० (तुर)
मारन, श्री मुरासोली (मद्रास दक्षिण)
मार्तण्ड सिंह, श्री (रीवा)
मालन्ना, श्री के० (मधुगिरि)
मालवीय, श्री के० डी० (डुमरियागंज)
मायावन, श्री वी० (चिताम्बरम्)
मायातेवर, श्री के० (डिंडिगुल)
मावलंकर, श्री पी० जी० (अहमदाबाद)
मिर्धा, श्री नाथूराम (नागौर)
मिश्र, श्री जनेश्वर (इलाहबाद)
मिश्र, श्री जी० एस० (छिंदवाड़ा)
मिश्र, श्री जगन्नाथ (मधुबनी)
मिश्र श्री विभूति (मोतिहारि)
मिश्र, श्री श्यामनन्दन (बेगूसराय)
मिश्र, श्री एस० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कन्नौज)
मुकर्जी, श्री एच० एन० (कलकत्ता उत्तर पूर्व)
मुखर्जी, श्री सरोज (कटवा)
मुखर्जी, श्री समर (हावड़ा)
मूर्ति, श्री बी० एस० (अमालापुरम)
मुतुस्वामी, श्री एम० (तिरुचेंगोड़)
मुन्शी, श्री प्रियरंजन दास (कलकत्ता दक्षिण)
मुरुगनन्तम, श्री एस० ए० (तिरुनेलवैली)
मुरमू, श्री योगेशचन्द (राजमहल)
मेलकोटे, डा० जी० एस० (हैदराबाद)
मेहता, डा० जीवराज (अमरेली)
मेहता, श्री पी० एम० (भावनगर)
मेहता, डा० महिपतराय (कच्छ)
मोदक, श्री विजय (हुगली)
मोदी, श्री पीलू (गोधरा)
मोदी, श्री श्रीकिशन (सीकर)
मोहन स्वरूप, श्री (पीलीभीत)
मोहम्मद इस्माइल, श्री एम० (बेरकपुर)
मोहम्मद ताहिर, श्री (पूर्णिया)
मोहम्मद यूसूफ श्री (सिवान)
मोहम्मद शरीफ़, श्री (पेरियाकुलम)
मोहसिन, श्री एफ़० एच० (धारवाड़ दक्षिण)
मौर्य, श्री बी० पी० (हापुड़)

य

यादव, श्री करन सिंह, (बदायूं)
यादव, श्री चन्द्रजीत (आजमगढ)

यादव, श्री डी० पी० (मुंगेर)
यादव, श्री ज्ञानेश्वर प्रसाद (कटिहार)
यादव, श्री नागेन्द्र प्रसाद (सीतामढ़ी)
यादव, श्री राजेन्द्र प्रसाद (मधधेपुरा)
यादव, श्री शिवशंकर प्रसाद (खगरिया)

र

रघुरामैया, श्री के० (गुन्टूर)
रणबाहदुर, सिंह श्री (सिधी)
रवि, श्री वयालार (चिरयिकील)
राउत श्रीभोला (बगहा)
राज बहादुर, श्री (भरतपुर)
राजदेव सिंह, श्री (जौनपुर)
राजू, श्री एम० टी० (नरसापुर)
राजू, श्री पी० वी० जी० (विशाखापत्तनम)
राठिया, श्री उम्पेद सिंह (रायगढ़)
राधाकृष्णन, श्री एस (कुडलूर)
रामकंवार श्री (टोंक)
रामजी राम, श्री (अकबरपुर)
राम दयाल, श्री (बिनजौर)
रामदेव सिंह, श्री (महाराजगंज)
राम धन, (लालगंज)
राम प्रकाश, श्री (अम्बाला)
राम सिंह भाई, श्री (इन्दौर)
राम हैडाउ, श्री (रामटेक)
रामशेखर प्रसाद सिंह, श्री (श्री छप्परा)
राम सूरत प्रसाद श्री (बांसगांव)
रामसेवक, चौधरी (जालौन)
राम स्वरूप श्री (रार्बट गंज)
राम, श्री तुलमोहन (अरारिया)
राय, श्री एस० के० (सिक्किम)
राय, श्री विश्वनाथ (देवरिया)
राय, डा० सरदीश (बोलपुर)
राय, श्रीमती माया (रायगंज)
राय, श्रीमती सहोदराबाई (सागर)
राव, श्रीमती बी० राधाबाई ए० (भद्राचलम)
राव, श्री नागेश्वर (मचिलीपट्टनम)
राव, श्री एम० सत्यनारायण (करीमनगर)
राव, डा० के० एल० (विजयवाडा)
राव, श्री के० नारायण (बोबिली)
राव, श्री जगन्नाथ (छत्रपुर)
राव, श्री पट्टाभिराम (राजामुन्द्री)
राव, श्री पी० अंकिनीडे प्रसाद (ओंगोल)
राव, श्री जे० रामेश्वर (महबूबनगर)
राव, श्री राजगोपाल (श्री काकुलम)
राव, डा० बी० के० आर० वर्दराज (बेल्लारी)
राव, श्री एम० एस० संजीवी (काकीनाडा)
रिछरिया, डा० गोविन्ददास (झांसी)
रुद्र प्रताप सिंह श्री (बाराबंकी)
रेड्डी, श्री वाई ईश्वर (कड़प्पा)
रेड्डी, श्री एम० रामगोपाल (निजामाबाद)
रेड्डी, श्री के० रामकृष्ण (नलगोंडा)
रेड्डी, श्री के० कोदन्डा रामी (कुरनूल)
रेड्डी, श्री पी० गंगा (आदिलवाद)
रेड्डी, श्री पी० एंथनी (अनन्तपुर)
रेड्डी, श्री पी० नरसिंहा (चितुर)
रेड्डी, श्री पी० बायपा (हिन्दपुर)
रेड्डी, श्री पी० बी० (कावली)
रेड्डी, श्री बी० एन० (निरायालगुडा)
रेड्डी, श्री सिदराम (गुलबर्गा)
रोहतगी, श्रीमती सुशीला (बिलौर)

ल

लकप्पा, श्री के० (तमकुर)
लक्ष्मीकांतम्मा, श्रीमती टी० (खम्मम)
लक्ष्मीनारायणन्, श्री एम० आर० (तिंडिवनम)

लक्ष्मणन्, श्री टी० एस० (श्री पेरम्बदूर)
लम्बोदर बलियार, श्री (बस्तर)
लालजी, भाई श्री (उदयपुर)
लास्कर, श्री निहार (करीमगंज)
लुतफल हक, श्री (जंगीपुर)

व

वर्मा, श्री सुखदेव प्रसाद (नवादा)
वर्मा, श्री फूलचन्द (उज्जैन)
वर्मा, श्री बालगोविन्द (खेरी)
वाजपेयी, श्री अटल बिहारी (ग्वालियर)
विकल, श्री रामचन्द्र (बागपत)
विजय पाल सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
विद्यालंकार, श्री अमरनाथ (चण्डीगढ)
विश्वनाथन्, श्री जी० (वान्डीवाश)
वीरभद्र सिंह, श्री (मंडी)
वीरय्या, श्री के० (पुदूकोटे)
वेंकटस्वामी, श्री जी० (सिद्दिपेट)
वेंकटासुब्बया, श्री पी० (नन्दयाल)
वेकारिया, श्री (जूनागढ)

श

शंकर देव, श्री (बीदर)
शंकरानन्द, श्री बी० (चिकोडी)
शंकर दयाल सिंह, (चतरा)
शफ़कत जंग, श्री (कराना)
शफ़ी, श्री ए० (चांदा)
शम्भूनाथ श्री (सेदपुर)
शमीम, श्री एस० ए० (श्रीनगर)
शर्मा, श्री ए० पी० (बक्सर)
शर्मा, श्री नवलकिशोर (दौसा)
शर्मा, श्री माधोराम (करनाल)
शर्मा, श्री राम नारायण (धनबाद)
शर्मा, श्री राम रत्न (बांदा)
शर्मा, डा० शंकर दयाल (भोपाल)
शर्मा, डा० हरि प्रसाद (अलवर)
शशि भूषण, श्री (दक्षिण दिल्ली)
शाक्य, श्री महादीपक सिंह (कासगंज)
शास्त्री, श्री राजाराम (वाराणसी)
शास्त्री, श्री रामावतार (पटना)
शास्त्री, श्री विश्वनारायण (लखीमपुर)
शास्त्री, श्री शिवकुमार (अलीगढ़)
शास्त्री, श्री शिवपूजन (विक्रमगंज)
शाहनवाज खा, श्री (मेरठ)
शिन्दे, श्री अण्णासाहिब पी० (अहमदनगर)
शिनाय, श्री पी० आर० (उदीपी)
शिवनाथ सिंह, श्री (झुनझुन)
शिवप्पा, श्री एन० (हसन)
शुक्ल, श्री बी० आर० (बहराइच)
शुक्ल, श्री विद्याचरण (रायपुर)
शेट्टी, श्री के० के० (मंगलोर)
शेर सिंह, प्रो० (झज्जर)
शेलानी, श्री चन्द (हाथरस)
शिवस्वामी, श्री एम० एस० (तिरूचेंडूर)

स

संकटा प्रसाद, डा० (सिसरिख)
संतबख्श सिंह, श्री (फतेहपुर)
सईद, श्री पी० एम० (लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह)
सक्सेना, प्रो० एस० एल० (महराजगंज)
सतीशचन्द्र, श्री (बरेली)
सत्पथी, श्री देवेन्द्र (ढेंकानाल)
सत्यनारायण, श्री बी० (पार्वतीपुरम)
सम्भली, श्री इसहाक (अमरोहा)
सरकार, श्री शक्ति कुमार (जयनगर)
सांगलियाना, श्री (मिजोरम)

सांघी, श्री नरेन्द्र कुमार (जालौर)
साठे, श्री वसन्त (अकोला)
सामन्त, श्री एस० सी० (तामलूक)
साभिनाथन, श्री ए० पी० (गोबीचेट्टिपलय)
साल्वे, श्री नरेन्द्र कुमार (बेतुल)
सावन्त, श्री शंकरराव (कोलाबा)
सावित्री श्याम, श्रीमती (आंवला)
साहा, श्री अजीत कुमार (विष्णुपुर)
साहा, श्री गदाधर (बीरभूम)
सिन्हा, श्री सी० एम० (मयूरगंज)
सिन्हा, श्री धर्मवीर (बाढ़)
सिन्हा, श्री आर० के० (फैजाबाद)
सिन्हा, श्री सत्येन्द्र नारायण (औरंगाबाद)
सिंह, श्री डी० एन० (हाजीपुर)
सिंह, श्री नवल किशोर (मुजफ्फरपुर)
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप (फूलपुर)
सिद्धय्या, श्री एस० एम० (चामराजनगर)
सिद्धेश्वर प्रसाद, प्रो० (नालन्दा)
सिंधिया, श्री माधवराव (गुना)
सिंधिया, श्रीमती वी० आर० (भिंड)
सुदर्शनम, श्री एम० (नरसारावपेट)
सुन्दरलाल, श्री (सहारनपुर)
सुब्रह्मण्यम, श्री सी० (कृष्णगिरि)
सुब्रावल, श्री (मयूरम)
सुरेन्द्रपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
सूर्यनारायण, श्री के० (एलूरू)
सैकेरा, श्री इराज्मुद (मारमागोआ)
सेझियान, श्री (कुम्बकोणम)
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान (काजीकोड)
सेठी, श्री अर्जुन (भद्रक)
सेन, श्री ए० के० (कलकत्ता उत्तर पश्चिम)
सेन, डा० रानेन (बारसात)
सेन, श्री रोबिन (आसनसोल)
सैनी, श्री मुल्कीराज (देहरादून)
सोखी, सरदार स्वर्ण सिंह (जमशेदपुर)
सोमसुन्दरम, श्री एस० डी० (थंजावूर)
सोलंकी, श्री सोम चन्द (गांधीनगर)
सोलंकी, श्री प्रवीण सिंह (आनन्द)
सोहन लाल, श्री टी० (करोलबाग)
स्टीफन, श्री सी० एम० (मुवत्तुपुझा)
स्वर्ण सिंह, श्री (जालंधर)
स्वामी, श्री सिद्धरामेशवर (कोपपल)
स्वेल, श्री जी० जी० (स्वायत्तशासी जिले)

ह

हंसदा, श्री सुबोध (मिदनापुर)
हनुमन्तय्या, श्री के० (बंगलौर)
हरिकिशोर सिंह, श्री (पुपरी)
हरि सिंह, श्री (खुर्जा)
हाजरा, श्री मनोरंजन (आरामबाग)
हालदार, श्री माधुर्य (मथुरापुर)
हाल्दर, श्री कृष्णचन्द (औसग्राम)
हाशिम, श्री एम० एम० (सिकन्दराबाद)
हुडा, श्री नरूल (कछार)
होरो, श्री एन० ई० (खुन्टी)

लोक सभा

अध्यक्ष

श्री बी० आर० भगत

उपाध्यक्ष

श्री जी० जी० स्वैल

सभापति तालिका

श्री भागवत झा आजाद

श्री इसहाक सम्भली

श्री वसन्त साठे

श्री सी० एम० स्टीफन

श्री जी० विश्वनाथन्

श्री पी० पार्थसारथी

महासचिव

श्री श्यामलाल शकधर

भारत सरकार

मन्त्रिमंडल के सदस्य

प्रधान मंत्री, योजना मंत्री, परमाणु ऊर्जा मंत्री, इलैक्ट्रानिक्स मंत्री और अन्तरिक्ष मंत्री	श्रीमती इन्दिरा गांधी
विदेश मंत्री	श्री यशवन्त राव चव्हाण
कृषि और सिंचाई मंत्री	श्री जगजीवन राम
रेल मंत्री	श्री कमलापति त्रिपाठी
रक्षा मंत्री	श्री बंसीलाल
नौवहन और परिवहन मंत्री	डा० जी० एस० ढ़िल्लों
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री	श्री एच० आर० गोखले
पैट्रोलियम मंत्री	श्री के० डी० मालवीय
उद्योग मंत्री	श्री टी० ए० पाई
निर्माण और आवास तथा संसदीय-कार्य मंत्री	श्री के० रघुरमैया
पर्यटन और नागर विमानन मंत्री	श्री राज बहादुर
गृह मंत्री	श्री के० ब्रह्मानन्द रेड्डी
रसायन और उर्वरक मंत्री	श्री पी० सी० सेठी
संचार मंत्री	डा० शंकर दयाल शर्मा
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री	डा० कर्ण सिंह
वित्त मंत्री	श्री सी० सुब्रह्मण्यम
नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्री	श्री सैयद मीर कासिम

मंत्रालयों/विभागों के प्रभारी राज्य मंत्री

वाणिज्य मंत्री	प्रो० डी० पी० चट्टोपाध्याय
पूर्ति और पुनर्वास मंत्री	श्री राम निवास मिर्धा
शिक्षा, समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री	प्रो० एस० नूरूल हसन
ऊर्जा मंत्री	श्री कृष्ण चन्द्र पन्त
श्रम मंत्री	श्री रघुनाथ रेड्डी
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री विद्याचरण शुक्ल
इस्पात और खान मंत्री	श्री चन्द्रजीत यादव

राज्य मंत्री

नागरिक पूर्ति और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० सी० जार्ज
निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० के० एल० भगत
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में राज्य मंत्री	चौधरी राम सेवक
योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शंकर घोष
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री शाहनवाज खां
उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री बी० पी० मौर्य
गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री	श्री ओम मेहता
रक्षा मंत्रालय (रक्षा उत्पादन) में राज्य मंत्री	श्री विट्ठल गाडगिल
राजस्व और बैंकिंग विभाग में प्रभारी राज्य मंत्री	श्री प्रणव कुमार मुखर्जी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री	डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद
रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री मुहम्मद शफी कुरेशी
उद्योग पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री ए० पी० शर्मा
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री अण्णासाहिब पी० शिन्दे
पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री सुरेन्द्र पाल सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री	श्री एच० एम० त्रिवेदी

उप-मंत्री

पैट्रोलियम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जियाउर्रहमान अंसारी
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री	श्री देवव्रत बरुआ
विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बिपिन पाल दास
स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री ए० के० एम० इसहाक
रसायन और उर्वरक मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सी० पी० माझी
गृह मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री एफ० एच० मोहसिन
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री अरविन्द नेताम
संचार मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जगन्नाथ पहाड़िया
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री प्रभुदास पटेल
रक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जे० बी० पटनायक
संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री	श्री वी० शकरानन्द
ऊर्जा मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सिद्धेश्वर प्रसाद
इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री सुखदेव प्रसाद
वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री	श्रीमती सुशीला रोहतगी

रेल मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बूटा सिंह
नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री दलबीर सिंह
कृषि और सिंचाई मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री केदारनाथ सिंह
वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह
सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री धर्मवीर सिंह
पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री जी० वेंकटास्वामी
श्रम मंत्रालय में उप-मंत्री	श्री बाल गोविन्द वर्मा
शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप-मंत्री	श्री डी० पी० यादव

लोक-सभा

LOK SABHA

शुक्रवार, 29 अक्तूबर, 1976/7 कार्तिक 1898 (शक)

Friday, October 29, 1976/Kartika 7, 1898 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair*]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : मैं श्री प्रणब कुमार मुखर्जी की ओर से निम्नलिखित पत्र (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं :—

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचनाएं तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (24वाँ संशोधन नियम)

(1) सा० सां० नि० 1248 जो दिनांक 28 अगस्त, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) सा० सां० नि० 1328 जो दिनांक 11 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) सा० सां० नि० 1356 जो दिनांक 18 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) सा० सां० नि० 834 (ङ) जो दिनांक 7 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी—11430/76]

(5) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (चौबीसवां संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 7 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 833 (ङ) में प्रकाशित हुए थे, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल टी--11431/76]

जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण केन्द्रीय बोर्ड (कार्य निष्पादन प्रक्रिया) संशोधन नियम तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1972-73 के प्रमाणित लेखे

निर्माण और आवास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) जल (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 63 की उपधारा (3) के अन्तर्गत जल प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण केन्द्रीय बोर्ड (कार्य निष्पादन प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 16 अक्तूबर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1489 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल टी--11432/76]

(2) दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 की धारा 25 की उपधारा (4) के अन्तर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के वर्ष 1972-73 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल टी--11433/76]

नारियल जटा (पहला संशोधन) नियम, 1976

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० पी० शर्मा) : मैं नारियल जटा उद्योग अधिनियम, 1953 की धारा 26 की उपधारा (3) के अन्तर्गत नारियल जटा उद्योग (पहला संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जो दिनांक 31 जुलाई, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1122 में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिए संख्या एल टी--11434/76]

सीमा शुल्क बल छुट्टी (पहला संशोधन) नियम, 1976 और औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत अधिसूचना

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (एफ० एच० मोहिसन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 141 की उपधारा (3) के अन्तर्गत सीमा सुरक्षा बल छुट्टी (पहला संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी

संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 11 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1302 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०--11435/76]

(2) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 की धारा 22 की उपधारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1371, जो दिनांक 25 सितम्बर, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 19 जून, 1976 की अधिसूचना संख्या 861 के अंग्रेजी संस्करण का शुद्धि पत्र दिया हुआ है।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये एल० टी०--11436]

मानव निर्मित रेशा उद्योग के मूल्य ढांचे पर टेरिफ आयोग का प्रतिवेदन तथा काफी संशोधन नियम, 1976

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह**) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) मानव निर्मित रेशा उद्योग--श्लेष्य (विसकोस) तथा शोक्तिक (एसिटेट) सूत तथा विशिष्ट रेशे के मूल्य ढ़ांचे के बारे में टैरिफ़ आयोग का प्रतिवेदन (1970) (हिन्दी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०--11437/76]

(2) काफ़ी अधिनियम, 1942 की धारा 48 की उपधारा (3) के अन्तर्गत काफ़ी (संशोधन) नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 14 अगस्त, 1976 के भारत में के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1192 में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल टी--11437/76]

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर तथा मद्रास के वर्ष 1973-74 और 1974-75 के लेखे, तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (उत्तर क्षेत्र) चण्डीगढ़ और दक्षिणी क्षेत्र मद्रास, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर तथा राजा राममोहन पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता के वर्ष 1975-76 के वार्षिक प्रतिवेदन

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय तथा संस्कृति विभाग में उप मंत्री (श्री डी० पी० यादव) मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :--

(1) प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 1961 की धारा 23 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों (हिन्दी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के वर्ष 1973-74 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास के वर्ष 1974–75 के प्रमाणित लेखे तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०--11439/76]

(2) निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :--

(एक) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, (उत्तरी क्षेत्र), चण्डीगढ़ का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

(दो) तकनीकी शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान (दक्षिणी क्षेत्र), मद्रास का वर्ष 1975–76 का वार्षिक प्रतिवेदन ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०--11440/76]

(3) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति । [ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--11441/76]

(4) (ए) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति ।

(दो) उपर्युक्त प्रतिवेदन का हिन्दी संस्करण साथ-साथ सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रन्थालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०--11442/76]

(5) राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान, कलकत्ता के वर्ष 1975–76 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति ।

[ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०--14443/76]

संविधान (49 वाँ संशोधन) विधेयक–जारी

CONSTITUTION (FORTY-FOURTH AMENDMENT) BILL—contd.

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 8 पर विचार करेंगे । श्री निम्बालकर ।

श्री निम्बालकर (कोल्हापुर) : सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि कल रात अंग्रेजी समाचारों में आकाशवाणी से यह गलत प्रसारण किया गया था कि मैंने खण्ड 2 पर अपना संशोधन पेश नहीं किया । मैंने अपना संशोधन पेश किया था । इस गलती को ठीक किया जाना चाहिए ।

Shri Bhibuti Mishra: I was also wrongly reported over the A. I. R. that I have not moved my amendment.

श्री निम्बालकर : मैंने जो संशोधन पेश किया है उसे निदेशक सिद्धांतों में शामिल किया जाना चाहिए । हम देश में समाजवाद लाने के इच्छुक हैं । हमें इस बात की चिन्ता नहीं है कि सरकार इतने अधिक अधिकार क्यों ले रही है, परन्तु उसे समाजवाद अवश्य ही लाना

चाहिए और यदि सरकार देश में समाजवाद लाना चाहती है तो उसे मेरा संशोधन अवश्य स्वीकार करना चाहिए ।

कल मैंने इस बात का उल्लेख किया था कि हमारे दल के अनेक सदस्यों तथा विपक्ष के कई सदस्यों ने भी यह मत व्यक्त किया था कि सरकार को इस प्रकार के संशोधन स्वीकार करने चाहियें । यह खेद की बात है कि मैं उस दल से सम्बन्धित हूं जिस का सभा में भारी बहुमत है, फ़िर भी यह संशोधन स्वीकार नहीं किया जा रहा है ।

मैं समाज के सभी वर्गों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा लोगों की शिक्षा और रूचि के अनुसार रोजगार इन दो विषयों के बारे में पहले ही कह चुका हूं । अब मैं अपनी तीसरी बात कहता हूं । वह यह है कि सब वस्तुओं के मूल्य स्थिर होने चाहिएं । चौथी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह भी जरूरी है कि समाज के सभी वर्गों के लोगों को सुचारू जीवन व्यतीत करने के लिए उन की आय या परिलब्धियां इतनी हों कि उस का दसवां भाग अपने अच्छे रहन सहन पर खर्च करें और 3/10वां भाग वह अपने परिवार के पोषण पर खर्च करें। हमें असमर्थता और जीवन बीमा के लिए भी प्रावधान करना चाहिए । जीवन बीमा निगम द्वारा कमाया गया लाभ लोगों की सुरक्षा पर खर्च करना चाहिए । यदि हम समाजवाद लाना चाहते हैं तो हमें अपनी सन्तान और भावी पीढ़ी की सुरक्षा करनी चाहिए । यदि हम यह कर लें तो कोई व्यक्ति भी सम्पत्ति नहीं चाहेगा ।

Shri Md. Jamilurrahman (Kishanganj): It is a matter of great satisfaction that the word "secularism" is being added in the Constitution. Our Constitution has been in force since last 25-26 years. We have given certain special rights to Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward classes. Now we have to see as to what extent those rights have been protected? I have no hesitation in saying that the rights given to scheduled castes and scheduled tribes have been denied during all these years. So far as clause 8 is concerned it seeks to ensure that opportunities for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities. Under this clause protection has been given to scheduled castes and scheduled tribes.

Now my amendment is that to this we should add "or by virtue of being members of religious minorities". This amendment is very necessary. It is all the more necessary in view of the fact that the rights given to scheduled castes and scheduled tribes and other backward classes have not been safeguarded by bureaucracy. The picture of the past is very disappointing, whether it be the question of giving or deucation. It is, therefore, necessary that in order to ensure that the religious minorities are duly protected my amendment should be accepted.

I would also appeal to our leader that now time has come when the Constitution should be rewritten. The forces of right reaction are still active. So any delay in this regard will be harmful to the country. In order to ensure secularism and socialism we should rewrite our Constitution in such a way that the goal of achieving this end is ensured.

Shri Hari Kishore Singh (Pupri): This is the first time when a provision is being made in the Constitution for giving free legal aid to the poor. It is really something very welcome. But there is one thing which needs attention. We find that the cases remain pending before the courts for years together. The poor people have to face much difficulty due to the abnormal delay in the disposal of their case. So my amendment is that the word "expeditious" should be added in

the clause. There should be a definite time limit within which the case must be disposed of.

The local aid committees formed at various levels have done very good work. But the legal aid committees formed at district level have not been equal to their expectation. I want to quote the instance of my district Sitamarhi in Bihar. In this district those lawyers who were leading the agitation for the closure of courts during the peoples movement have been taken in the Committee. This is something very undesirable. How could such reactionary people be of any help to the poor people. Therefore members of these Committees should be reappointed after proper screening and only progressive persons should be selected.

श्री धरनीधर दास (मगंलदायी) : अध्यक्ष महोदय, मैं आशा करता हूं कि विधि मंत्री मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे । समाजवाद के लिए आयोजना जरूरी है तथा बिना आयोजना के समाजवाद केवल एक कल्पना है । इसीलिए मैंने अपना संशोधन पेश किया है ।

हमने समाजवाद को अपने लक्ष्य के रूप पमें अपनाया है । लेकिन इसे सहकारी योजना के द्वारा ही व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है । इसलिये कुछ आवश्यक उपबन्ध किये जाने चाहिएं । इसीलिए मैंने अनुच्छेद 39ख का यह संशोधन पेश किया है कि सरकार आर्थिक योजना के द्वारा राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं को समेकित करेगी तथा उत्पादन और वितरण को बढाने के लिए राष्ट्रीयकरण और सहकारिता की गति में तेजी लाकर समाजवाद के साथ साथ सभी आर्थिक कार्य को सम्पादित करेगी, जिस से भारत का समाजवादी गणतंत्र के रूप में पुर्ननिर्माण किया जा सके ।

निदेशक तत्व प्रस्तावना में ही दिए हुए हैं । समाजवाद केवल आर्थिक आयोजना द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है । इसीलिए हम ने वर्ष 1951 में आर्थिक नियोजन आरम्भ किया था । नियोजन का अर्थ है आय और वेतन के अनुरूप मूल्यों का निर्धारण और समायोजन । लेकिन हमारे देश में यह नहीं हुआ । इसलिए जब हम योजना तैयार करते हैं, तो वस्तुत: उस समय योजना रहित अर्थ व्यवस्था चलती है । पूंजीवादी अर्थ व्यवस्था को नियंत्रित किये बिना हम अर्थ व्यवस्था नहीं ला सकते और यह कार्य तब तक नहीं हों सकता जद तक कि हम राज्य के नीति निदेशक तत्वों को योजना का आधार नहीं बनाते । अत: मंत्री महोदय को मेरा संशोधन स्वीकार करना चाहिए ।

Shri Ishaque Sambhali (Amroha): Mr. Speaker, Sir, I have moved an amendment that after line, 28, the following be inserted:—

> "39B. The State shall take all necessary steps for full protection of the rights of Muslims and other minority communities and those belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other weaker sections in all spheres of national life, particularly in the matter of education and employment".

Mr. Speaker, Sir, the necessity of bringing change in the democratic principles has been fell due to the fact that we have seen that after independence communal forces had been trying to poison the atmosphere of the country by injecting communal virus and they have got the support of the communal officers. This has to be stopped.

It is regrettable that the Scheduled Castes, the backward classes, Muslims and other minority communities have not been given due representation in services. It is seen that in different departments including the Central Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat and other departments Muslim employees can be counted on fingures, rather their number is nil. I would congratulate Shri Hamvati Nandan Bahuguna and Shri Siddhartha Sankar Ray for issuing orders for ensuring due representation of Harijans, Muslims and other backward classes in services. But it is regrettable that the result is the same even after their orders. It is all the more regrettable that Muslims are denied the opportunities of employment only on account of their religion.

The Communist Party has at its Hyderabad Conference demanded that some reservation should be made in the services for the Muslims and the reservation made for the Scheduled Castes and Tribes be filled up. It is also necessary to stop the attacks on Harijans and Muslims and to provide full protection to those people.

It is shameful to allege that the Communist Party has raised the above demand only for the sake of propaganda. As a matter of fact, the party in power should have taken the necessary steps much earlier. As the aforesaid steps were not taken, the Communist Party had to raise the above demand.

डा० कैलाश : (बम्बई दक्षिण) : अनुच्छेद 39 में व्यवस्था है कि सरकार नागरिकों को पुरुषों और महिलाओं को जीवनयापन के समान अवसर प्रदान करने की दिशा में अपनी नीति बतायेगी । लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात के अतिरिक्त और किसी राज्य में ऐसी नीति बनाने का विचार ही नहीं किया है जहां कि नवयुवकों और युवतियों को भारी संख्या में रोजगार दिया जाये । अतः यह व्यवस्था करना आवश्यक है कि सरकार देश भर में सभी स्वस्थ नागरिकों को अपने विभागों में रोजगार के समान अवसर देगी । मैंने इस आशय का संशोधन प्रस्तुत किया है जिसे विधि मंत्री को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

Shri Bubhuti Mishra (Motihari): There is a provision in article 39(f) for protection of childhood and youth against exploitation and against moral and material abandonment. But this is something negative in nature. Therefore, a new article should be added, saying that the state would provide free education to all sections of society, guarantee employment to every citizen and provide for payment of subsistence allowance to the old, infirm and unemployed and bring about a social order in which each would give according to his capacity and would get according to his needs. If we really want to bring socialism in our country then an amendment to that effect must be adopted.

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): In clause 8, provision is being made to provide legal aid to the poor. This is no doubt a welcome proviso. But it is necessary to ensure that only such lawyers as are competent and have the necessary intellectual attainment should be entrusted with the job.

Litigation is a long overdrawn and highly expensive affair. It is well-high impossible for the poor to get proper justice through courts of law. It is heartening to note that the Congress Party has some to the rescue of the poor people and has arranged for providing legal aid to them.

Shri Ramavatar Shastri (Patna): In Article 39, there are six Directive Principles. Now the Government wants to add a seventh one. Our party wants to add one more, namely, that "The State shall take all necessary steps for full

protection of the rights of Muslims and other minority communities and those belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other weaker sections in all the spheres of national life, particularly in the matter of education and employment.

The amendment is very clear. We want to ameliorate the lot of Muslims and other minorities as well as the Scheduled Castes and Tribes who are economically and socially weak. It is with this end in view that the Prime Minister launched the 20-Point Economic Programme which is now being implemented throughout the country. If the Government is really serious about improving the lot of those people, then why should it hesitate to add this thing in the Directive Principles? If this is not done, it would create a doubt in the minds of those people in regard to the Governments policies and intentions.

Just as there is reservation in the services for the Scheduled Castes and Tribes, it should also be made for the Muslims. We have a Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes. Similarly, a Commissioner should also be appointed to look after the interests of the Muslims. If this is done, Muslims would not remain backward.

It is regrettable that in the name of Naxalites, Harijans and Tribals are being harassed in Bihar. Some of them have even been killed in connivance with the people belonging to high castes. This has got to be stopped.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : खण्ड 8 पर काफी अधिक संशोधन हैं। अपने संशोधन में प्रो० सेक्सेना ने कहा है कि "मुफ्त" शब्द के स्थान पर "पर्याप्त और प्रभावी" शब्द प्रतिस्थापित किये जायें। मैं नहीं कह सकता कि कानूनी सहायता की कोई योजना मुफ्त न होकर प्रभावी कैसे बनाई जा सकती है। यदि ऐसी सहायता मुफ्त न हो तो इस अनुच्छेद का पूरा प्रभाव ही जाता रहेगा। "मुफ्त" शब्द बहुत आवश्यक है और इसे हटाया नहीं जा सकता।

श्री निम्बाल्कार ने इस खण्ड के स्थान पर दूसरा खण्ड रखे जाने के लिये बहुत लम्बा संशोधन रखा है, जिस के अधिकांश भाग का सम्बन्ध आर्थिक और सामाजिक मामलों से है। इसमें मेरा कोई मतभेद नहीं है। लेकिन यह तो किसी चुनाव घोषणा-पत्र जैसा लगता है। जहां यह ठीक है कि उन सभी बातों की ओर ध्यान दिया जाना चाहिये। और प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिये वहां मैं यह नहीं समझता कि मुफ्त कानूनी सहायता का उपबन्ध करने वाले निदेशक सिद्धान्त में उक्त सभी बातें भी शामिल की जानी चाहिये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त तथा उनके दल के अन्य सदस्यों ने एक संशोधन रखा है। यहां भी हमने इस बात पर कभी मतभेद नहीं किया कि मुसलमानों समेत अल्पसंख्यकों की रक्षा नहीं होनी चाहिये। बात यह है कि हमने सदैव यह माना है कि सरकार का यही कर्त्तव्य है कि वह न केवल अल्पसंख्यकों की रक्षा करे अपितु वह सभी प्रयास करे जिस से अल्पसंख्यकों का सामाजिक और आर्थिक उत्थान हो। यही नीति निरन्तर बनी हुई है।

जहां तक सुरक्षा का सम्बन्ध है संविधान में पहले ही ऐसे अनुच्छेद हैं, विशेषकर अनुच्छेद 25 से 30, जो अल्पसंख्यकों को रक्षा प्र करने के लिये विशेष रूप से शामिल किये गये हैं।

प्रस्तावित संशोधन में और अधिक रक्षा के किन उपायों की ओर संकेत किया गया है, यह स्पष्ट नहीं होता ।

इसके बाद अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों का उल्लेख है । सभी जानते हैं कि इनके साथ भेदभाव बर्ता गया है । इसलिये संविधान में उनकी रक्षा का विशेष उपबन्ध किया गया है । लेकिन प्रस्तावित संशोधन में अन्य उपायों को स्पष्ट नहीं किया गया है ।

राष्ट्रीय जीवन के सभी पहलुओं में समाज के दुर्बल वर्गों को सुरक्षा प्रदान करने, विशेषकर शिक्षा और रोजगार के मामले में, का भी उल्लेख किया गया है । बात यह है कि क्या उन सभी बातों को इस समय निदेशक सिद्धान्तों में शामिल किया जाना चाहिये या नहीं । यद्यपि मैं साम्यवादी दल द्वारा पेश किये गये इस प्रस्तावित संशोधन में निहित विचारों से सहमत हूं और एक या दो संशोधनों को छोड़कर अधिकांश संशोधनों से भी सहमत हूं, फिर भी मैं, जहां तक इस खण्ड का सम्बन्ध है, कोई भी संशोधन स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हूं ।

Shri Shankar Dayal Singh: If the House sits upto 12 o'clock division should also take place at 12 O'clock. Alloting five minutes time for division is not justified.

Shri M. C. Daga (Pali): I hope that you would give full time for this important Bill on Constitution Amendment.

श्री इन्द्रजीत गुप्त: इस विधेयक पर चर्चा के लिये पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए । यदि आवश्यक होगा तो हम एक-दो दिन अधिक बैठ जायेंगे । आपने पहले ही दिन इस सत्र को विशेष सत्र बताया था । अब हमें देखना है कि वास्तव में आप इसे कितनी विशेषता देते हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय जहां पर हैं । वह इस पर ध्यान देंगे ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मुझे मूल प्रस्ताव पर बोलने के लिये केवल 13 मिनट दिये गये जब कि कुछ सदस्यों को एक-एक खण्ड पर 10–15 मिनट दिये गये । तब यह बात क्यों नहीं उठाई गई : ..... (**व्यवधान**)

श्री पी० जी० मावलंकर : समय के बारे में शुरू से ही भेद भाव बरता गया है । यह कतई स्वतन्त्र चर्चा नहीं है ।

श्री एस० एम० बनर्जी : सुझाव दिया गया है कि मतदान $5\frac{1}{2}$ तथा 6 बजे के बीच हो । यदि आप वास्तव में 12 बजे तक बैठना चाहते हैं तो मतदान 12 बजे ही होना चाहिए । समय के बारे में इस प्रकार की लक्ष्मण रेखा नहीं खींची जानी चाहिए ।

Shri Jambuwant Dhote: We have called this session for amendment of the Constitution. The proposed method of clause by clause discussion is rape of the constitution.

Shri Shankar Dayal Singh: The word rape should be removed.

Mr. Speaker: Please give your suggestion.

Shri Jambuwant Dhote: We are seriously considering the Constitutional Amendment. The attitude of the chair in respect of speeches has been partial.

Certain persons have been allowed one and even one and half hours, while others have not been given a chance.

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। माननीय सदस्य इसे वापस ले लें।

श्री जाम्बुवंत धौते : वाद-विवाद में पक्षपात बरता गया है। मैं अपना कथन वापस नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करता हूं कि वह इसे वापस ले लें। यदि वह ऐसा नहीं करते तो सभा त्याग दें।

कुछ माननीय सदस्य : हां।

श्री जाम्बुवंत धौते : मैं इसे वापस नहीं लेता। यह पक्षपातपूर्ण है।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : आपको अध्यक्षपीठ पर ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए।

श्री जाबुम्वंत धौते : अच्छा श्रीमान जी।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने शब्द वापस ले लिया है।

श्री जाम्बुवंत धौते : जी हां, मैं इसे वापस लेता हूं।

नया खण्ड 8 (क)

New Clause 8(A)

श्री धरणी धर दास (मंगलदायी) : मैं अपना संशोधन संख्या 342 प्रस्तुत करता हूं।

श्री एच० आर० गोखले : इस नये खण्ड पर जो कुछ मुझे कहना था मैं कह चुका हूं।

खण्ड 9

Clause 9

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी) : मैं अपना संशोधन संख्या 194 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली): मैं अपने संशोधन संख्या 234, 235 प्रस्तुत करता हूं।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं अपना संशोधन संख्या 278 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ओ० बी० अलगेशन (तरुतनी) : मैं अपना संशोधन संख्या 319 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा : मैं अपना संशोधन संख्या 320 प्रस्तुत करता हूं।

श्री इब्राहीम सूलेमान (सेट) : मैं अपना संशोधन संख्या 490 प्रस्तुत करता हूं।

श्री शंकर दयाल सिंह (चतरा) : मैं अपना संशोधन संख्या 507 प्रस्तुत करता हूं।

श्री धरणी धर दास : मैं अपना संशोधन संख्या 343 प्रस्तुत करता हूं।

श्री कार्तिक उराँव (लोहारडगा) : मैं अपना संशोधन संख्या 378 प्रस्तुत करता हूं।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता–दक्षिण) : मैं अपना संशोधन संख्या 407 प्रस्तुत करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं अपने संशोधन संख्या 453, 456 और 457 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Hari Kishore Singh (Pupri): It is a very important problem. In pursuance of our policy of socialism it is quite imperative that the labour should be given representation in the Management and in the Management Board, because it has been now established that the contribution of the labour in the production is far more than the capitalist or the factory owner. The Government deserve congratulations for not only following this policy but also for incorporating in the statute.

But there are certain areas not only in private sector but in public sector also where this policy has not been given practical form and the labour has not been given due representation in the management. It is because they are putting it off. I have therefore suggested in my amendment that the word 'Immediate' should be added so as to make it obligatory for the industries to give representation to the labour soon after the passage of this amendment Bill.

Shri M. C. Daga (Pali): We want a society in which there is no exploitation and there is respect for the labour. One of the point in the 20 point programme is that the labour would be represented at all levels in the factories|industries. But even after the lodging of 20-point programme the owners of factories|mills are not affording representation to the labour in the management. The ideal policies of the government are not being followed. The Minister of Law and the Minister of Labour have said that this scheme has helped to step up production and productivity. And therefore they should share the increased production and productivity, and hence should be entitled to bonus which should not necessarily be linked with profit.

Maharaja Umai Mill of Rajasthan has a capital of Rs. 3 crores; its production is increasing and they have invested Rs. 32 lakhs in the machines. But they have given as per law, only 5.4 per cent bonus as against 16 and 15 per cent which they have been giving prior to the passage of Bonus Act. They give representation to the labour only for name sake.

It is, therefore, necessary that provision should be made to give representation to the labour at all levels that is management, production, service and accounts etc.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : हमने अपने दल की ओर से संशोधन संख्या 455, 456 और 457 पेश किये हैं जिनका अभिप्राय है अपने संशोधन के चौथे अध्याय में निदेशात्मक सिद्धांतो में कुछ जोड़ना। सरकार द्वारा श्रमिको को उद्योगों में प्रतिनिधित्व दिलाने हेतु यह संशोधन लाया जाना स्वागत करने योग्य है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि यदि सरकार औद्योगिक संबंधो को बेहतर बनाये रखना चाहती है तो उसे निदेशात्मक सिद्धान्तों में विवादों का सामूहिक आधार पर निपटारा करने की व्यवस्था करनी चाहिए। यह बहुत जरूरी है। निदेशक सिद्धांत में केवल यह कह देना काफी नहीं है कि श्रमिकों का प्रबन्ध में योगदान होगा। इससे प्रबन्धकों और श्रमिकों के विवादों का भी संबंध होना चाहिए। यह दुर्भाग्य की बात है कि सामूहिक आधार पर निपटारे की बात सभी आधुनिक

औद्योगिक संस्थाओ के लिए जरूरी होते हुए भी आज तक इस बात को हमारे संविधान में शामिल नहीं किया गया है। वर्तमान औद्योगिक संबंध कानून में केवल समझौते और सरकार द्वारा मध्यस्ता की व्यवस्था है जिस पर कोई भी कर्मचारी संघ सहमत नहीं है।

नियोक्ता–सरकारी अथवा गैर-सरकारी––से सामूहिक तौर पर सौदा करने का हमारा हक है। जब तक यह नहीं होगा, तब तक कोई फायदा नहीं होगा। मजदूरों के प्रतिनिधियों को प्रबन्ध में शामिल कर रहें है परन्तु विवादो के शीघ्र निपटारे के लिए सामूहिक समझौते––कलेक्टिव बार्गेनिग––का प्रावधान नहीं कर रहे हैं। आज यह नियोक्ता की मर्जी पर है कि वह मजदूर-संघों से सीधे बातचीत करें चाहे न करें। उसे इसके लिए बाध्य करने के लिए कोई कानून नहीं है। औद्योगिक संबंधो संबंधी समूचे कानून में परिवर्तनो के लिए उच्च स्तर पर यहां तक कि मंत्रालय स्तर पर भी विचार हो रहा था ताकि नियोक्ता और मजदूर आमने-सामने बैठकर अपने विवादों को हल कर सकते, परन्तु अब यह सारा मामला त्याग दिया गया है। इन्टक, ए० आई० टी० यू० सी० तथा हिन्द मजदूर संगठन (एच० एम० एस०) ने परस्पर स्वीकृत कुछ प्रस्ताव तैयार किये थे परन्तु सरकार ने उन्हें कोई कानून स्वरूप देने के लिए आगे कार्यवाही नहीं की। भविष्य में तत्संबंधी कोई उपयुक्त कानून लाया जाना चाहिए। मेरे संशोधन का अभिप्राय यही है। आप यही तो चाहते हैं कि उद्योग में शांति रहे तथा विवादों और मांगो के कारण काम बन्द न हो।

अब आपात स्थिति के दौरान, यदि कहीं मजदूर अपनी मांगें उठाते हैं तो नियोक्ता उन्हें पूरा न करके तालाबन्दी घोषित कर देते है क्योंकि आपात स्थिति में नये विधान के अधीन छटनी, जबरन छुट्टी आदि तो प्रतिबन्धित है परन्तु तालाबन्दी को इस विधान में शामिल नहीं किया गया है। स्वयं श्रम मंत्री ने भी हाल ही में यह कहा है कि अधिकाधिक नियोक्ता श्रमिको की मांगों को दबाने के लिए कृत्रिम तालाबन्दी कर रहे हैं। अतः ऐसे विवादो को निपटाने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिग के अलावा कोई चारा नहीं है।

अतः निदेशात्मक सिद्धातों में इस आशय की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसा न करना श्रमिक विवादो, तालाबन्दी, हड़तालो आदि को आमंत्रित करना होगा। कलेक्टिव बार्गेनिग के लिए मजदूरों की ओर से बातचीत करने हेतु मजदूर संघों को मान्यता दी जानी चाहिए। देश की प्रगति के लिए ऐसा करना बेहद जरूरी है, और आप ऐसा प्रावधान कर सकते हैं।

मेरे संशोधन संख्या 456 का अभिप्राय यह है कि सरकार सभी स्तरों पर प्रशासनिक व्यवस्था को पुनर्गठित करने और लोकतांत्रिक बनाने के लिए हर आवश्यक कार्यवाही करे ताकि ऐसे कानून सामाजिक आर्थिक क्रांति का साधन बन सकें। संविधान के प्रस्तावना में समाजवाद शब्द डालने से ही देश में समाजवाद नहीं आ सकता क्योंकि आज की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था, जोकि स्वाधीनता से भी पहले के समय जैसी ही है और बदली नहीं है, ऐसा नहीं होने देगी। आज भी देश में, मंत्रालयों में सचिव––नौकरशाहो, जिला मजिस्ट्रेट और गांवों में खंड विकासी अधिकारी और थानेदार तथा दारोगा हैं। क्या वे अधिक सुधार ला सकते हैं? क्या उन्हें ऐसा कोई प्रशिक्षण मिला है अथवा क्या उनकी मनोवृत्ति ऐसा कुछ करने की है? नहीं। और न ही उनमें इस कार्य के लिए कोई उत्साह ही है और न ही अनुभव है। केवल प्रशासनिक व्यवस्था के सहारे प्रधान मंत्री का 20–सूत्री कार्यक्रम कभी

फलीभूत नहीं हो सकेगा क्योंकि स्वयं इस कार्यक्रम में विश्वास नहीं है और न ही इसमें इसे क्रियान्वित कराने की क्षमता है। इसका एक कारण यह भी है कि वे जनता को अपनी सहयोगिनी न मानकर उसे अपनी प्रजा मानते हैं। अतः अब समय आ गया है जबकि प्रशासनिक व्यवस्था का नवीकरण किया जाये, उसे लोकतांत्रिक और लोकप्रिय स्वरूप दिया जाए। लोकप्रिय तत्वों को इसमें प्रतिनिधित्व दिया जाए। यही कारण है कि हमने क्रियान्विति समितियों के गठन पर इतनी चिन्ता प्रकट की थी क्योंकि उसके मार्ग में सब से बड़ी बाधा प्रशासन की है। क्रियान्विति समिति कोई निर्णय करने के बाद भी उस कार्य को करा नहीं सकती क्योंकि नौकरशाहों का रवैया ही ऐसा है।

इसीलिए संविधान में महत्वपूर्ण संशोधन के इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारा यह अनुरोध है कि इस बात को निदेशात्मक सिद्धान्त के रूप में संविधान में स्थान दिया जाए।

मेरा तीसरा संशोधन संख्या 457 बहुत ही महत्वपूर्ण है जोकि चुनावों तथा अन्य लोकतांत्रिक सक्रियाओं में धन की शक्ति के पदार्पण को रोकनेहेतु उपयुक्त प्रभावी कदम उठाने के बारे में है। धन-शक्ति का हर कार्य में हस्तक्षेप केवल भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अन्य बहुत से देशों में भी विद्यमान है। हम देखते हैं कि किस प्रकार केवल एक ही बहु-राष्ट्रिक कम्पनी अपने विशाल वित्तीय संसाधनों के बल पर अपने तथा दूसरे देशों की राजनैतिक जिन्दगी में किस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर रही है। राजनीतिज्ञों तथा मंत्रियों को बड़े पैमाने पर घूस दी जा रही है। प्रसिद्ध लाकहीड का मामला आप सब के सामने है। कितने ही देशो में यह संकट फैला हुआ है। मैं नहीं जानता कि हमारे देश में इन बहु-राष्ट्रिक कम्पनियों की क्या गतिविधियां हैं। उनका रहस्य अभी नहीं खुला है। वैसे हम सब जानते हैं कि बड़े-बड़े व्यापारी, भारी धन-शक्ति और काला-धन हमारे देश के वातावरण को भी दूषित कर रहे हैं। हममें से कोई यह नहीं चाहता कि ऐसा होता रहे।

हाल ही में आपने कानून बदलकर फिर यह प्रावधान किया है कि कम्पनियां राजनैतिक दलों को वैधानिक तरीके से दान दे सकती हैं।

श्री एच० आर० गोखले : अभी यह कानून पास तो नहीं हुआ है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप उसे पास करने जा रहे हैं। प्रस्ताव तो आपने किया है। वैसे यदि वह पास न हो तो अच्छा होगा। इस पर पुनः विचार किया जाना चाहिये वरना केवल चुनावों के समय ही नहीं बल्कि नित्य के प्रशासन में भी इनके बुरे प्रभाव पड़ेंगे। हमें हर सम्भव यह प्रयास करना चाहिये कि वही धन राशि हमारे राजनैतिक जीवन में, प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से अपना प्रभुत्व न जमा ले। इसे यदि पूरी तरह समाप्त न भी किया जा सके तो भी उसे कम से कम, नियन्त्रित तथा न्यूनतम तो किया ही जाना चाहिये।

इस प्रकार मेरे तीनों संशोधन मूलभूत प्रश्नों से सम्बन्धित हैं। हमें कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिये विधान बनाना चाहिये, प्रशासन को लोकतांत्रिक बनाना चाहिये ताकि जनता और प्रशासन के बीच दूरी को कम किया जा सके, और धन-शक्ति को चुनावों तथा राजनैतिक जीवन से दूर रखने का प्रयास होना चाहिये।

इन तीनों बातों के लिये निदेशात्मक सिद्धान्तों में प्रभावी प्रावधान किया जाये ताकि उनके लिये उपयुक्त कानून बनाये जा सकें और कार्यवाही की जा सके।

इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधनों को पेश करता हूं।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : 1973 के दौरान औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि हुई थी लेकिन इसकी तुलना में रोजगार के अवसरों में इतनी अधिक वृद्धि नहीं हुई। भारत में 1976 के आंकड़ों के अनुसार 11,105 करोड़ रुपये की उत्पादन पूंजी से फैक्टरियों में 42.7 लाख लोगों को रोजगार मिला और उन्हें 1515 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से वेतन मिला। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही उद्योगों का विस्तार हो रहा है और हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पादन 1951 की तुलना में तिगुना हो गया है। लेकिन इस सीमा तक रोजगार नहीं बढ़ा है। अत: उद्योग की प्रगति होती है लेकिन वहां रोजगार कम होता जाता है। हमारे देश में संगठित उद्योग कारखानों में मुश्किल से 40 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। यह कुल कामगरों का 10 प्रतिशत ही है : अत: हम देखते हैं कि जबतक उद्योग की समूची नीति से श्रम की सम्भाव्यता नहीं बढ़ाई जायेगी तब तक यह अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर पायेगी। इसके बाद एक और बात पैदा होती है। प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों की भागीदारी किस आधार पर की जाये ? कौन निर्णय लेगा ? क्या हम प्रबन्ध व्यवस्था से पूंजी अलग कर सकते हैं। लेकिन कम से कम राशि निवेश करने वालों को तो लाभ होना ही चाहिए। प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों की भागीदारी का सिद्धान्त इस दिशा में बहुत समय से परखा जाता रहा है जिसके फलस्वरूप उत्पादन बढ़ा है और श्रमिकों की शिकायतें दूर हुई हैं। लेकिन भर्ती विस्तार तथा पुनर्नवीकरण आदि सम्बन्धी मुख्य निर्णय लेने में श्रमिकों को भागीदार नहीं बनाया गया है। अत: श्रमिकों को प्रबन्ध व्यवस्था में भागीदार बनाया जाना चाहिए लेकिन इससे रोजगार के अवसर कम नहीं किए जायें। उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए तथा प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार कर उसे कारगर बनाया जाये। यह एक प्रकार से श्रमिकों का औद्योगिक मताधिकार होना चाहिए जो कि शनै: शनै: आगे चलकर प्रभावी प्रबन्ध का रूप धारण करे।

इन शब्दों के साथ मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री ओ० वी० अलगेशन (तरूत्तनी) : उद्योगों की प्रबन्ध व्यवस्था में श्रमिकों को भागीदार बनाने की नीति को काफी समय से अपनाया जा रहा है। अब हम यह चाहते हैं कि इस नीति को निदेशक सिद्धान्त का दर्जा मिलना चाहिए। लेकिन श्रमिकों को प्रबन्ध व्यवस्था में भागीदार बनाना ही यथेष्ट नहीं है। उन्हें शेयर लेने का भी अधिकार हो और उन्हें मालिक बनने के लिए समर्थकारी बनाया जाना चाहिये।

संविधान में सम्पत्ति का अधिकार दिया हुआ है। इस अधिकार को समाप्त करने के लिए बहुत तर्क दिए गए हैं। लेकिन प्रधान ने इस के लिए ऐसे अकाट्य कारण बताये हैं कि इस समय हम ऐसा दृष्टिकोण क्यों नहीं अपना सकते। इससे अनेक विवाद उठ खड़े होंगे और लोग यह सोचने लगेंगे कि उनके हितों को हानि पहुंचाई जा रही है। अत: हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। यद्यपि हम सम्पत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त नहीं कर सकते फिर भी हम आर्थिक विषमताओं को कम करने के लिए कटिबद्ध हैं। जब तक सम्पत्ति का अधिकार है, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक व्यक्ति सम्पत्ति का अधिकारी बने।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

जब कृषि क्षेत्र में खेती हर मजदूर की, उस भूमि का स्वामी बनाया जा रहा है जिसमें वह खेती करता है, तो औद्योगिक क्षेत्र में मजदूर उद्योग का मालिक क्यों नहीं बन सकता ? इसका एक उपाय

यह है कि श्रमिकों में जिम्मेदारी की भावना पैदा की जाये उन्हें अधिक जिम्मेदार बनाया जाये तथा उनमें अधिक मेहनत करने की आदत डाली जाये। लेकिन यह शंका व्यक्त की गई है कि क्या श्रमिकों को प्रबन्ध व्यवस्था में भागीदार बनाने से उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि होगी। श्रमिक वर्ग को अधिक जिम्मेदार तथा उनमें उत्पादन बढ़ाने की आवश्यकताओं को पूरा करने का एक उपाय यह है कि वे जिस उद्योग में कार्य कर रहे हैं, उसके प्रबन्ध कार्य में उन्हें भागीदार बनाने या हाथ बटाने का अवसर दिया जाये। मेरा संशोधन संविधान के अनुच्छेद 39 (ख) और (ग) के अनुसार ही है। मुझे आशा है कि विधि मन्त्री महोदय मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास समय बहुत कम है। अतः माननीय सदस्य अपने भाषण बहुत संक्षेप में दें। अन्यथा हम निर्धारित समय में यह कार्य पूरा नहीं कर पायेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी : आपके आने से पहले इस विषय पर चर्चा की जा चुकी है और सभी का यह मत है कि कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। यह चर्चा पहली तारीख से आगे भी जारी रखी जानी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यह तो सच है, लेकिन अध्यक्ष महोदय ने भी कुछ कहा था। अतः कोई सदस्य 5 मिनट से अधिक समय नहीं ल।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (कोजीकोड) : जो सदस्य एक बार अपना भाषण दे चुके हैं उन्हें अपेक्षाकृत कम समय दिया जाये। जिन्हें पहले बोलने का अवसर नहीं मिला है उन्हें अधिक संमय दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : हमारे पास समय का अभाव है।

श्री धरनीधर दास (मंगलादायी) : मेरे संशोधन का उद्देश्य यह है कि सरकार प्रशासन को लोकतान्त्रिक तरीके से चलाने के लिए प्रगतिशील जनसंगठनों को सरकारी कार्यकरण में शामिल करेगी तथा आर्थिक कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए लोगों को और अधिक जिम्मेदार बनायेगी। जनता को लोकतान्त्रिक कार्यों में हिस्सा लेने का अवसर दिया जाये क्योंकि इससे देश में से फासिस्ट शक्तियों का उन्मूलन होगा। हम सभी जानते हैं कि फासिस्टवादी और पृथकतावादी शक्तियां प्रशासन में शामिल हो गई हैं। अतः लोकतन्त्र की रक्षा तथा 20 सूत्री कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए अनेक अधिकारियों को नौकरी से निकालना है और नौकरशाही पर यह कार्य नहीं छोड़ना है। इसलिए प्रगतिशील इन संगठनों को सरकार के लोकतान्त्रिक कार्यों में भाग लेने का अवसर दिया जाना चाहिए और इस कार्य को नौकरशाही पर छोड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए। हमें आपात स्थिति की उपलब्धियों को नहीं भूलना चाहिए कि यह जनता का आन्दोलन है जिससे प्रतिक्रियावादी शक्तियों को पृथक कर दिया गया है। अब भी भूमि सम्बन्धी दस्तावेजों को सही करने तथा भूमि सुधारों को कार्यान्वित करने का अधिक कार्य जन संगठनों द्वारा ही किया गया है। अतः देश की सुरक्षा के लिए सभी प्रतिक्रियावादी शक्तियों से निपटने के लिए यह अत्यावश्यक है।

श्री कार्तिक उराँव (लोहारडगा) : श्रमिकों के प्रबन्ध व्यवस्था में भागीदार बनाने सम्बन्धी प्रस्तावित संशोधन बहुत ही उदार विचार वाला है क्योंकि इससे प्रबन्धकों तथा श्रमिकों के बीच समुचित समन्वय, निष्ठा तथा एक होकर कार्य करने की भावना पैदा होगी। लेकिन इससे भी अधिक आवश्यक यह है कि श्रमिकों में इन उद्योगों और सरकारी उपक्रमों में भागीदार बनने की भावना उत्पन्न हो। इसलिए मैंने एक छोटा संशोधन प्रस्तुत किया है कि "वाणिज्य और व्यापार" शब्दों को "उद्योग" शब्द के साथ सम्मिलित किया जाना चाहिए।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी (कलकत्ता--दक्षिण): मेरा संशोधन तो बहुत ही साधारण है। इससे विधि मंत्री के संशोधन को बल मिलेगा जो उन्होंने विधेयक में पुरःस्थापित किया है।

न्यायपालिका का कहना है कि निदेशक सिद्धान्त मौलिक अधिकारों के अधीनस्थ है। इसी लिए निदेशक सिद्धान्तों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए हम इस विधेयक में एक नया उपबन्ध पुरःस्थापित कर रहे हैं।

हम ने इस विधेयक में श्रमिकों के प्रबन्धव्यवस्था में भाग लेने के अधिकार के सम्बन्ध में उपबन्ध किया है। लेकिन हमारे देश में श्रमिक अनेक कार्मिक संघों में बटे हुए हैं। वह कोई ठोस निर्णय नहीं ले सकते हैं। मैंने अपने संशोधन में यह प्रस्ताव किया है कि श्रमिकों को सभी क्षेत्रों में, गैर-सरकारी उद्योगों में उत्पादन बोनस के रूप में या लाभ में से कुछ प्रोत्साहन दिया जाये या कुछ राशि अनुग्रपूर्वक भुगतान की जाये। श्रमिकों को प्रबन्ध व्यवस्था में भागीदार बनाने के अतिरिक्त उद्योगों को यह निदेश दिया जाना चाहिए कि उन्हें अपने लाभ का एक या आधा प्रतिशत भाग श्रमिकों को शेयरों के रूप में भुगतान करें जिससे श्रमिक आंशिक रूप से कारखाने के मालिक बन सकें।

गैर-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा औद्योगिक एककों में लाभ की एक निश्चित प्रतिशतता तथा लाभांश शेयर श्रमिकों में वितरित कर दिये जायें जिससे वे सामूहिक रूप से उन एककों के मालिक बन जायें। मैंने इसी आशय का संशोधन प्रस्तुत किया है। आशा है विधि मंत्री उस पर विचार करेंगे।

श्री एस० एम० बनर्जी: (कानपुर): यह सराहनीय है कि इस नये विधेयक के एक खण्ड में श्रमिकों को उद्योगों की प्रबन्ध व्यवस्था में भागीदार बनाने का उपबन्ध है। लेकिन सामूहिक सौदेबाजी या सामूहिक समझौते के अधिकार को सुनिश्चित किये बिना इसका कोई अर्थ नहीं है। दो कारणों से श्रमिकों को प्रबन्ध व्यवस्था में भागीदार बनाया जाता है। एक है, उनमें यह भावना पैदा हो कि वे केवल उत्पादन ही नहीं करते हैं बल्कि उद्योग के हित की भी सुरक्षा करते हैं। दूसरा है, औद्योगिक शान्ति बनाये रखना। अतः उन्हें सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार का आश्वासन दिया जाना चाहिए। अतः श्रमिकों तथा कर्मचारियों को सामूहिक सौदेबाजी का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए एक योजना कार्यान्वित की जानी चाहिए।

मेरा दूसरा संशोधन प्रशासनिक व्यवस्था के लोकतंत्रीकरण के बारे में ह। जब तक नौकर-शाहों की विचारधारा में परिवर्तन नहीं किया जायेगा तब तक संविधान में निहित निदेशक सिद्धान्तों को कार्यान्वित नहीं किया जा सकता। इसलिए मैंने सुझाव दिया है कि सरकार प्रशासनिक तंत्र को पुनर्गठित करने तथा उसके लोकतंत्रीकरण के लिए सभी आवश्यक कदम उठायेगी, ताकि सामाजिक-आर्थिक क्रान्ति के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह एक प्रभावी उपकरण सिद्ध हो। सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को कार्यान्वित न किये जाने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी इन नौकरशाहों पर ही है। ये नौकरशाह ही परिवार नियोजन कार्यक्रम को बदनाम कर रहे हैं और अल्पसंख्यक समुदायों में असंतोष और नफ़रत की भावना पैदा कर रहे हैं। इन्हीं नौकरशाहों के कठोर रवैये के कारण ही मुजफ्फ़रनगर में पुलिस की गोली से बहुत से निःसहाय लोग मारे गये। इस दुर्घटना की जांच की जानी चाहिए। परिवार नियोजन कार्यक्रम हम देश की समृद्धि के लिए ही चला रहे हैं। देश

का प्रत्येक व्यक्ति इसका समर्थन करता है। लेकिन इन नौकरशाहों के कारण इस कार्यक्रम की बदनामी हो रही है। इसलिए हम चाहते हैं कि सामाजिक-आर्थिक क्रान्ति के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए एक प्रभावशाली प्रशासनिक तंत्र होना अत्यावश्यक है।

मेरा तीसरा संशोधन धन की शक्ति के प्रभाव के बारे में है। धन की शक्ति किस तरह से जन-सामान्य को अपने प्रभाव में लेती है। हम देखते हैं कि चुनावों के दौरान कितना धन खर्च होता है। कम्पनियों को चन्दा देने की फ़िर से अनुमति मिल गई है। अन्तर्राष्ट्रीय और विदेशी एजेंसियां इस देश में कितना अधिक धन व्यय कर रही हैं। ये एजेंसियां इस धन का कोई खाता नहीं रखती हैं। हम इनके लेखों व खातों की जांच भी नहीं कर सकते। इससे देश में मुद्रास्फ़ीति बढ़ती है और देश की अर्थव्यवस्था में कभी भी असन्तुलन आ सकता है। फिर भी हम पी० एल०-480 की निधियों की जांच-पड़ताल तक नहीं कर पाये हैं।

सरकार इस बात का पता लगाये कि विदेशों से चुनाव आदि के लिए कितना धन आता है तथा उसमें से कितने धन का उपयोग तोड़-फ़ोड़ वाली कार्रवाइयों पर होता है। इस सम्बन्ध में सतर्कता बरती जाये कि चुनाव के लिए आया धन अन्य प्रयोजनों पर व्यय न हो।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे कम से कम इस संशोधन को स्वीकार करें। सिद्धान्त रूप में ही इस बात को स्वीकार करने से काम नहीं चलेगा।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेट (कोजीकोड) : सरकार ने संविधान के निदेशक सिद्धान्तों के खण्ड 43 में संशोधन करना उचित ही समझा है। संशोधन में कहा गया है कि राज्य उपक्रमों, प्रतिष्ठानों तथा उद्योगों में लगे अन्य संगठनों में श्रमिकों का प्रबन्ध कार्य में हिस्सा लेना सुनिश्चित करने के लिए समुचित विधान द्वारा या किसी अन्य तरीके से कदम उठायेगा" यह बहुत ही सराहनीय संशोधन है और यह समाजवादी देश में लक्ष्यों के अनुसार है। किन्तु मैं इस खण्ड को खण्ड 43 (ख) में जोड़ना चाहूंगा जो इस तरह पठित है कि "राज्य अल्पसंख्यकों सहित पिछड़े वर्गों के लोगों के आर्थिक उत्थान तथा सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों में उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करेगा।" इस संशोधन से हमारे देश का धर्मनिरपेक्ष चरित्र स्पष्ट हो जायेगा। किन्तु कमजोर वर्गों को विभिन्न सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा प्रतिष्ठानों और उद्योगों में लगे अन्य संगठनों में समुचित रोजगार की गारंटी दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त एक और संशोधन है जिसमें कहा गया है कि अल्पसंख्यकों को सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व देकर उनको समुचित संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। किन्तु विधि मंत्री ने यह संशोधन स्वीकार करना उचित नहीं समझा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि संविधान के मौलिक अधिकारों के अध्याय में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए पहले ही उपबन्ध है। निस्संदेह जहां तक खण्ड 25, 29 तथा 30 का सम्बन्ध है इनमें विभिन्न अल्पसंख्यक समुदायों के लिए संरक्षण की व्यवस्था है और भाषायी अल्पसंख्यकों को भी शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना का अधिकार दिया हुआ है। किन्तु कहीं भी यह सुनिश्चित करने का उपबन्ध नहीं है कि अल्पसंख्यकों को भी सरकारी क्षेत्र तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के विभिन्न प्रतिष्ठानों तथा संगठनों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जायेगा। अतः यह उचित होगा कि अल्पसंख्यकों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाये। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को पहले ही प्रतिनिधित्व दिया हुआ है और इसलिए हम भी मुसलमान अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की मांग कर सकते हैं। हमें सामाजिक न्याय करना चाहिए। संविधान में कोई ऐसा उपबन्ध किया जाये जिससे अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व दिया जा सके।

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): Much has been done for the benefit of industrial labourers in future as well as under 20 point programme. Clause 43 of the bill also relates to them. But so far nothing worth mentioning has been done for the agricultural labourers. I, therefore, suggest that agricultural labourers should also be covered under this provision. A povision regarding minimum wages should be made and it should be implemented strictly. I will again request the government to pay attention towards the welfare of agricultural labourers.

श्री एच० आर० गोखले : हमारा निदेशक सिद्धान्तों सम्बन्धी एक अध्याय है और हम इस अध्याय में कुछ और अच्छी बातें जोड़ रहे हैं। प्रश्न यह है कि कितने निदेशक सिद्धान्त रखे जायें। वास्तव में हमारे समाज तथा हमारी वर्तमान स्थिति की जटिलता के कारण कई समस्याएं उत्पन्न हो जायेंगी और निस्संदेह उनमें से कुछ बहुत महत्वपूर्ण हैं। निदेशक सिद्धान्तों के अध्याय को बहुत व्यापक बनाना ठीक नहीं है।

श्रमिकों को उद्योग के प्रबन्ध कार्य में हिस्सा देने का व्यापक सिद्धान्त इसमें पहले ही सम्मिलित कर लिया गया है। कुछ लोगों ने कहा है कि प्रबन्ध कार्य में उन्हें इस तरह से या उस तरह से हिस्सा लेने का अवसर देना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा है कि उन्हें प्रबन्ध कार्य में हिस्सा लेने के साथ-साथ स्वामित्व भी प्रदान किया जाना चाहिए। यह निदेशक सिद्धान्तों की सीमा को भी पार कर लेता है। निदेशक सिद्धान्त को तैयार करते समय उन सम्भावनाओं को ध्यान में रखा गया है जो समुचित विधान के लिए व्यावहारिक हैं। किसी भी बात को छोड़ा नहीं गया है। प्रश्न यह है कि ये सारे ब्यौरे निदेशक सिद्धान्तों का अंग नहीं हैं। मुख्य बात कुछ निदेशक सिद्धान्तों को सम्मिलित करना है।

सामूहिक सौदेबाजी का उल्लेख किया गया है। ऐसा प्रतीत होता है कि नियोजक श्रमिकों तथा कर्मचारियो के साथ सामूहिक सौदेबाजी करने के लिए बाध्य हो और इसी तरह कर्मचारी तथा श्रमिक भी नियोजक के साथ सामूहिक सौदेबाजी करें। इसके लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम तथा अन्य अधिनियम है। ऐसा हो सकता है कि सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धान्त विस्तृत रूप में न हो। किन्तु सामूहिक सौदेबाजी किसी न किसी रूप में वहां हो। ऐसा भी हो सकता है कि हम समाधान की वर्तमान प्रणाली को पसंद न करते हो किन्तु ऐसे मामले हैं जिन पर पृथक् स्तर पर विचार करना आवश्यक है और एक समुचित हल निकालना है। इस सिद्धान्त को मान्यता देने के लिए इसे निदेशक सिद्धान्तो में सम्मिलित करना आवश्यक न हो।

जहां तक धन की शक्ति का सम्बन्ध है, हमारे कानूनो में चुनावों में धन के प्रयोग पर नियंत्रण रखने हेतु कुछ उपबन्ध हैं। हम सभी यह महसूस कर रहे हैं कि इस समस्या को हल करने के लिए उपबन्ध पर्याप्त नहीं हैं। हम किसी समुचित विधान के अन्तर्गत ही इस पर पर्याप्त ध्यान दे सकते हैं। हम इस पर विचार कर रहे हैं। हमें इसे निदेशक सिद्धान्तों में सम्मिलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा पहलू प्रशासनिक तंत्र के लोकतंत्रीकरण के बारे में है। वर्तमान प्रणाली में हमारे लिए ऐसा करना सम्भव नहीं है। सभी स्तरों पर कोई न कोई उपबन्ध है जिसके द्वारा जन प्रतिनिधियो को योजनाओं या 20 सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में भाग लेने का अवसर दिया जा सकता है किन्तु इस निदेशक सिद्धान्तों में सम्मिलित करना आवश्यक नहीं है।

जहां तक उद्योगों के स्वामित्व का सम्बन्ध है, ऐसा हो सकता है कि उद्योग के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को राज्य को अपने हाथों में लेना पड़े। श्रमिकों का कोई प्रश्न ही नहीं है। बजाय इसके

कि राज्य को उनकी स्वामित्व मिलें, यह तर्क दिया गया है कि श्रमिक उनके स्वामी बनेंगे। कोई भी इस बात से इन्कार नहीं करता। हम श्रमिकों का प्रबन्ध कार्य में भाग लेने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। यह सिद्धान्त इस हद तक महत्वपूर्ण है कि यह निदेश देता है। अब यह निदेश दे दिया गया है और सरकार इस पर समुचित ध्यान दे सकती है और मुझे पूरा यकीन है कि कोई न कोई विधान बना लिया जायेगा।

जहां तक फार्म श्रमिकों का सम्बन्ध है, असली दृष्टिकोण यह है कि भूमि जोतने वाले को ही भूस्वामी बनाया जाये। इस बारे में पहले ही विधान बनाया जा रहा है। संविधान में कुछ अन्य उपबन्ध भी हैं, जिनके अन्तर्गत ऐसा किया जाना है।

अल्पसंख्यकों के बारे में भी प्रश्न उठाया गया है। कहा गया है कि मुसलमानों को ही नहीं अपितु अन्य कमजोर वर्गों को भी रोजगार प्रदान करने के लिए कुछ संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। आरक्षण समाज के विभिन्न वर्गों के लिए है। शायद "मुसलमान" शब्द उसमें नहीं है। किन्तु यह सभी जरूरतमन्द लोगों के लिए है।

नया खण्ड 9—क

Shri B. S. Bhaura: I have given an amendment to this clause. It is very simple. If I have asked that more attention should be paid towards the development of sports by the centre. Our standard in sports had gone down considerably during the recent years. The debacle in hockey which India faced in Montreal is an eye opener. I will suggest that steps should be taken to promote sports in villages also. Play grounds and stadiums should also be provided in rural areas.

The Government should not think that it cannot interfere into the matters of private Association. I can give you the list of people who have gone to Montreal Olympics for the sake of fun only.

Sports should be developed at national level; 'sports' should also be put in concurrent list along with education. A committee should be appointed in the centre which should be entrusted with the task of developing sports in a big way.

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : मैं संशोधन संख्या 573 प्रस्तुत करता हूं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : (तेल्लीचेरी) : कुछ वर्ष पूर्व संसद् की एक संयुक्त समिति ने मतदान की आयु 18 वर्ष करने के प्रश्न पर विचार किया था। जब एक व्यापक संवैधानिक संशोधन यहां पेश किया जा रहा है तो सरकार को इस पहलू पर भी विचार करना चाहिए।

राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करने चाहिए जिससे कि सभी नागरिक 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर स्वतन्त्र तथा पूर्ण रूप से राजनीति में भाग ले सकें। यह केवल युवा लोगों को मतदान करने के अधिकार का ही प्रश्न नहीं अपितु यह उन्हें विश्वास में लेने तथा उनमें सामाजिक जिम्मेदारी तथा कर्तव्य की भावना पैदा करने की बात भी है। सरकार युवा वर्ग को विश्वास में लेने और देश के कार्यों में हाथ बंटाने के मामले में बुरी तरह असफल रही है। सरकार को ऐसा करने के लिए यह सुझाव दिया जाता है कि मेरा संशोधन नीति निर्देशक सिद्धान्तों में शामिल किया जाए। इसी उद्देश्य से मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है। आशा है सरकार इस पर उचित रूप से विचार करेगी।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० बी० ए० सैयद मोहम्मद) : यह प्रश्न दोनों सदनों में उठाया गया था और यह उत्तर दिया गया था कि एक समिति नियुक्त की गई है और सम्पूर्ण मामले पर सरकार विचार कर रही है। जिसके चुनावों में सुधार के सामान्य प्रश्न भी शामिल हैं। इन वार्ताओं का क्या परिणाम निकलेगा इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता।

श्री सी०के० चन्द्रप्पन : मतदान तो मामले का केवल एक पहलू है। व्यापक प्रश्न तो यह है कि क्या उन्हें अपनी राय देने का मौका दिया जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धान्तों में इसकी व्यवस्था करके क्या आप उन्हें अपनी बात कहने का मौका देंगे क्या आप उन्हें विश्वास में लेंगे। क्या आप ऐसा करेंगे।

श्री भान सिंह भौंरा : क्या आप मेरा संशोधन स्वीकार कर रहे हैं। डा० बी० ए० सैयद मोहम्मद ने असहमति प्रकट की।

खण्ड 10

Clause 10

(नए खण्ड 48क का अन्त:स्थापन)

श्री हरि किशोर सिंह (पुपरी) : मैं संशोधन संख्या 198 प्रस्तुत करता हूं।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी (चित्तूर) : मैं संशोधन संख्या 216 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं संशोधन संख्या 236 प्रस्तुत करता हूं।

श्री निम्बालकर (कोल्हापुर) : मैं संशोधन संख्या 254 प्रस्तुत करता हूं।

श्री कार्तिक उरांव (लोहारडगा) : मैं संशोधन संख्या 379 प्रस्तुत करता हूं।

श्रीमती पार्वती कृष्णन : (कोयम्बतूर) : मैं संशोधन संख्या 458 और 459 प्रस्तुत करती हूं।

श्री शंकर दयाल सिंह (चत्रा) : मैं संशोधन संख्या 508 और 509 प्रस्तुत करता हूं।

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : मैं संशोधन संख्या 581 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Hari Kishore Singh: This clause seeks to protect and improve the environment and to safeguard the wild life. But the objective will not be fulfilled so long a penalty clause is not there. Therefore my amendment should be accepted.

श्री पी० नरसिम्हा रेडडी : मैंने इस आशय का एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि सरकार को पर्यावरण की रक्षा करने और सुधार करने, जल, मृदा तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों का परिरक्षण और विकास करने तथा देश के वन्य जीवन एवं जंगलों की सुरक्षा करने के लिए प्रयास करने चाहिए। देश में जल, मृदा तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों की पहले ही कमी है। जल और मृदा जसे प्राकृतिक संसाधनों की मांग उच्च जीवन स्तर के कारण बढ़ सकती है। अत: जल, मिट्टी तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। इसे निदेशक सिद्धान्तों में शामिल किया जाना चाहिए।

मन्त्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह मेरे संशोधन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

Shri M. C. Daga: As regards the proposed new Article 48-A, the present provision in the Bill is not adequate to protect the forests and wild life. In fact large number of trees have been destroyed by contractors and other people. The Present Forest Act is out dated and obsolete. Therefore, government should direct the states to 'pass laws' so that our forest and wild life can be preserved. My suggestion is:

In place of words "the states shall endeavour" the words "the state shall pass legislation" may be inserted. You have said that the state shall take suitable legislation under clause 9 and clause 8. Without adopting such an amendment States will not work. I hope the hon. Minister will accept my amendment.

श्री निम्बालकर : मन्त्री महोदय से अनुरोध है कि वह मेरा संशोधन स्वीकार करें। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि देश के जंगलात और वन्य जीवन की सुरक्षा हो और प्रकृति तथा प्राकृतिक वातावरण में सुधार किया जाए। मुझे यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि भरतपुर के शरणस्थली में पक्के भवनों का निर्माण किया गया है। इससे यही पता चलता है कि हम प्रकृति का परिरक्षण करना नहीं जानते। वहां जो भी भवन बनाए जाएं वे प्राकृतिक वातावरण के अनुकूल होने चाहिएं।

श्री कार्तिक उराँव: वनों में रहने वाले आदिवासियों या अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में राज्य सरकार का रवैया किसी निश्चित दिशा में नहीं है। मुझे वन्य जीवन पक्षियों आदि के परिरक्षण के बारे में तो कोई आपत्ति नहीं है लेकिन राज्य सरकार को अनुसूचित जनजातियों के हितों की भी रक्षा करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उन्हें मिलने वाली सुविधाओं से वंचित न किया जाए। क्योंकि इन सुविधाओं से ही उनका जीवन चलता है इसलिए मैंने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि जंगलात और वन्य जीवन की सुरक्षा करने और उसमें सुधार करने से जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के हितों को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए।

Shri Jharkhande Rai (Ghosi): Mr. Deputy Speaker, Sir, we have moved an amendment in regard to clause 10. While forests should cover 30 per cent of the total land in our country, the total forest area in our country today is hardly 17 per cent. Therefore, every effort should be made to plant more trees and thereby to increase the area of forests.

If we plant more trees they will not only conserve soil but will provide us fuel and fodder also.

The land adjoining the railway lines should not be allowed to be cultivated. It should be left for developing pastures so that the cattle can graze there.

More than 20 lakh acres of land in the Chambal revines which come within the State of Uttar Pradesh, Madhya Pradesh and Rajasthan are barren and uncultivable. This land can be brought under the plough. Trees can be planted there and forests can be developed.

I have therefore given two amendments the first seeks that adequate and effective measures should be taken to check environmental pollution. My second amendment seeks to appoint a Standing Committee of Parliament to review all matters relating to the implementation of Directive Principles.

There have been many instances where MISA and DIR have been misused. Many of my party leaders and workers have been detained under these measures. Many innocent persons have been arrested for personal and party reasons. All these cases should be looked into. I therefore feel that some democratic control

over Directive Principles is necessary and that can be ensured by appointing a Committee of Parliament who should look into all such cases.

Personal or individual disputes should not be subjected to imprisonment under D.I.R. The MISA is also misused in many cases. Shri Ram Dhan who belonged to the Congress Party had been staunch opponent of communalism has also been lodged in jail under MISA and his request for release under parole has been rejected in spite of three deaths in his family. This is nothing but sheer misuse of MISA. There should be democratic control over directive principles otherwise misuse of MISA will continue.

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): My amendment seeks to add the words 'traditions and environments' under Section 48(a), so that countrymen could feel proud of their past full glories.

I made a mention about plantation of trees also which forms a part of 25 point programme. Hence the word 'trees' should also be added.

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर): मैं खण्ड 10 का समर्थन करता हूं जिसके अन्तर्गत अनुच्छेद 48क के जोड़े जाने का प्रस्ताव किया गया है क्योंकि वनों के विकास से भूमि कटाव का निवारण होता है ।

इसके अतिरिक्त आदिवासी लोग भी वन उत्पादों से अपनी जीविका पूरी करते हैं। विभिन्न राज्यों के वन सम्बन्धी नियम भिन्न हैं । इन आदिवासी लोगों पर इन नियमों को सख्ती से लागू नहीं किया जाना चाहिए । मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि मेरे उस संशोधन को स्वीकार किया जाये जिसका उद्देश्य आदिवासियों के हितों को चोट पहुंचाये बिना वन विकास करना है । मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि मेरे संशोधन को स्वीकार किया जाये ।

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बतूर) : मैं अपने संशोधन संख्या 458 तथा 459 के बारे में बोलना चाहती हूं । यह कहना कि सरकार पर्यावरण दूषण को सुधारने के लिए भरसक प्रयास करेगी, पर्याप्त नहीं है । हमारे देश में पर्यावरण दूषण का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। ऐसे देश में जहां उद्योगों का विकास हो रहा हो, यह मामला और भी अधिक महत्वपूर्ण हो गया है ।

नये अनुच्छेद 48(क) में यह उपबन्ध किया जाये कि सरकार पर्यावरण सम्बन्धी संदूषण को रोकने के लिए पर्याप्त और प्रभावी कार्यवाही करेगा ।

निदेशक सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के लिए संसद् और राज्य विधान मण्डलों की एक प्रवर समिति नियुक्त की जानी चाहिए । संसद् की प्रवर समिति इस कार्य के लिए सरकार को जागरूक रखेगी । केवल खाली वचनों, दार्शनिक वक्तव्यों और भाषणबाजी से जनता को कोई सहायता नहीं मिलेगी और यह देश समाजवाद के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेगा । संसद् को संविधान के निदेशक सिद्धान्तों के बारे में सतर्क रहना होगा और हमें यह जानकारी होनी चाहिये कि इस सम्बन्ध में क्या हो रहा है ।

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद) : खण्ड 10 के बारे में प्राप्त संशोधनों में से मैं केवल कुछ उल्लेखनीय संशोधनों का ही उत्तर दूंगा ।

कहा गया है कि राज्य को पर्यावरण की सुरक्षा तथा विकास हेतु कानून पास करना चाहिये । प्रयास करने के बजाय कानून बनाने का भी सुझाव दिया गया है । 'प्रयास' शब्द 'कानून' शब्द की अभिव्यक्ति से अधिक व्यापक है । क्योंकि इसमें कानून और वे सभी कदम सम्मिलित हैं जिन्हें कि सरकार उठाना चाहती है । अतः इसे केवल कानून तक ही सीमित करना आवश्यक नहीं है ।

वनों और अन्य जीवन के सुधार करने से उत्पन्न प्रभावों के सम्बन्ध में कुछ, शंकायें प्रकट की गयी हैं। प्रधान मन्त्री ने कल इन सभी शंकाओं को दूर तथा स्पष्ट किया है कि ऐसी शंका करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरी ओर उन्होंने कहा है कि वन्य जीवन और जंगलों के सुधार से आदिवासियों की दशा में भी वास्तविक सुधार होगा।

यह भी कहा गया है कि भरतपुर मृग वन में कुछ भवनों का निर्माण किया गया है। मृग वन खण्ड 10 में किए जाने वाले उपबन्धों के अन्तर्गत आएंगे।

Shri Jambuwant Dhote (Nagpur): An amendment has been moved about some tribes living in jungle and depending on forest products. What will be the position of those who will be displaced from the jungles?

उपाध्यक्ष महोदय : इस सम्बन्ध में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें। आप तो भाषण ही देते जा रहे हैं। आपने अपनी बात कह ली है जिसका उत्तर मन्त्री महोदय दे देंगे।

डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद : मैं इसका उत्तर दे चुका हूं। प्रधान मन्त्री भी इस सम्बन्ध में आश्वासन दे चुकी हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 11 को लेते हैं।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : मैं अपना संशोधन संख्या 4 प्रस्तुत करता हूं।

श्री स्वर्णसिंह सोखी (जमशेदपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 6 और 29 प्रस्तुत करता हूं।

श्री बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : मैं अपने संशोधन संख्या 46, 52, 55 तथा 83 प्रस्तुत करता हूं।

श्री विभूति मिश्र (मोतीहारी) : मैं अपने संशोधन संख्या 84 तथा 172 प्रस्तुत करता हूं।

डा० कैलास (बम्बई-दक्षिण) : मैं अपना संशोधन संख्या 217 प्रस्तुत करता हूं।

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : मैं अपना संशोधन संख्या 225 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं अपना संशोधन संख्या 238 प्रस्तुत करता हूं।

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरु) : मैं अपना संशोधन संख्या 239 प्रस्तुत करता हूं।

श्री मुहम्मद जमीलुर्रहमान (किशनगंज) : मैं अपने संशोधन संख्या 295, 296, 297 तथा 298 प्रस्तुत करता हूं।

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ : मैं संशोधन संख्या 306 और 367 पेश करता हूं।

श्री ओ० वी० अलगेशन : मैं संशोधन संख्या 321 और 322 पेश करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा : मैं संशोधन संख्या 336 और 337 पेश करता हूं।

श्री के० नारायण राव : मैं संशोधन संख्या 351 और 354 पेश करता हूं।

श्री कार्तिक उराँव : मैं संशोधन संख्या 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386 और 387 पेश करता हूं ।

श्री जम्बुवंत धोटे : मैं संशोधन संख्या 403 और 404 पेश करता हूं ।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं संशोधन संख्या 409 पेश करता हूं ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मैं संशोधन संख्या 431 पेश करता हूं ।

श्री चिरजीव झा : मैं संशोधन संख्या 439 पेश करता हूं ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं संशोधन संख्या 460 पेश करता हूं ।

श्री शंकर दयाल सिंह : मैं संशोधन संख्या 510, 511, 512, 513 और 514 पेश करता हूं ।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): I beg to move two amendments. I want that my amendments should be adopted. These amendments carry behind them a fact. It should be the duty of every citizen to observe celibacy in the interest of family planning and to abstain from consumption of alcohol. This should be included in the Fundamental Duties.

There should be a set of duties for Ministers and public servants also. It should be the special duty of every member of the council of Ministers either of the Union or of the States or holders of public offices to protect and safeguard interests of the country and abstain from doing anything which jeopardises the economic, social or political interests of the country in any manner whatsoever.

It should also be the duty of every member of the council of Ministers and every officer of the Government responsible for taking decisions in matters relating to the policy of the Government or internal administration of the Government or Departments to abstain from consuming alcohol in any public place whether called as such or private.

Sardar Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur): I have given an amendment in regard to some sort of ceiling on right to property. Several Members have said that the right to property should be abolished. But if it is not abolished, there must be some ceiling on it. It should be provided in the Fundamental Duties that every citizen should have limited property rights.

Secondly, I have made a reference about military training. It should be made compulsory both for boys and girls in schools in rural and urban areas. It is essential for the defence of our country.

Third thing which I referred to is ceiling on expenditure. Also a provision should be made that violation of any fundamental duty will be punishable under the Indian Penal Code. I, therefore, request that my amendments should be considered by Government.

श्री बी० बी० आर० शुक्ल (बहराइच) : मौलिक कर्तव्यों में यह उपबन्ध किया जा रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंन्तता के लिये हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को दृश्य में संजोये रखेगा और उनका पालन करेगा । हम जानते हैं कि विभिन्न परिस्थितियों में

हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले कुछ परस्पर विरोधी आदर्श भी होते हैं। चन्द्रशेखर आजाद, भगतसिंह तथा अन्य कुछ व्यक्तियों ने हिंसा का सहारा लिया। महात्मा गांधी ने राष्ट्रीय आन्दोलन को एक नया मोड़ दिया और स्वराज्य प्राप्त करने के लिये देश को अहिंसा का नया सिद्धान्त दिया। अब यदि हम इसे अपना कर्त्तव्य मानें तो यह बहुत भ्रामक होगा। इस कर्त्तव्य के स्थान पर हमें यह उपबन्ध करना चाहिये कि प्रत्येक नागरिक को निश्छल सिद्धान्त तथा अपने सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक कार्यों में निश्छल साधन अपनाने चाहिये।

दूसरे कर्त्तव्यों में यह उपबन्ध है कि सभी प्राणियों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना। हम जानते हैं कि चूहे अन्य कीट हमारी फसलें नष्ट कर देते हैं। इस मामले में हम यह भावना या यह कर्त्तव्य कैसे अपना सकते हैं? नागरिकों के लिये कर्त्तव्य का निर्धारण करने में ऐसी धार्मिक और मिथ्या-नैतिक धारणायें पैदा नहीं होनी चाहिये।

एक अन्य कर्त्तव्य में यह व्यवस्था की जा रही है कि प्रत्येक नागरिक को सार्वजनिक सम्पति को सुरक्षित रखना होगा और वह हिंसा से दूर रहेगा। लेकिन सार्वजनिक सम्पति की रक्षा करने में कभी कभी हिंसा का सहारा लेना पड़ जाता है। यदि संविधान में ये कर्त्तव्य अन्त :स्थापित करना अनिवार्य हो जाता है तो कम से कम इन्हें स्पष्ट अवश्य किया जाना चाहिये।

श्री एस० एन० मिश्र (कन्नौज) : मैं मौलिक कर्त्तव्यों से सम्बन्धित प्रस्तावित अनुच्छेद 51 का संशोधन संख्या 172 पेश करता हूं। मेरा यह कहना है कि न्यापालिका की निन्दा करने या उन्हे कुछ पीढ़ियां पिछड़ा हुआ बताने के पीछे कुछ भी मकसद हो सकता है परन्तु मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि अपनी स्वतंत्र न्यायपालिका की निन्दा करके हम लोकतंत्र का उपहास उड़ा रहे हैं। और उसे गुलामी के दिनों की याद ताजा कर रहे हैं। लोकतन्त्र विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका इन तीनों के आधार पर चल सकता है। एक को बड़ा और दूसरे को छोटा नही माना जा सकता। यदि लोकतन्त्र का ढोंग भी रचाना है तो भी यह रोक थाम होना अनिवार्य है। मूल कर्त्तव्यों में यह भी सम्मिलित किया जाना चाहिये कि प्रत्येक व्यक्ति को जाति, धर्म से ऊपर उठ कर धर्म निरपेक्ष प्रार्थना में भाग लेना चाहिये और यह प्रार्थना सभी शिक्षा संस्थाओं और सार्वजनिक सभाओं में होनी चाहिये।

इस विधेयक के पास होने पर प्रत्येक सरकारी अधिकारी को पूर्णत : निश्छल होना चाहिये और उसे अपनी आस्तियों की घोषणा करनी चाहिये। हर 6 महीने बाद वह अपनी आस्तियों की घोषणा करेगा।

किसी भी नागरिक को भाई भतीजावाद या पक्षपात का आचरण नहीं करना चाहिये।

प्रत्येक नागरिक को उत्पादन वृद्धि के लिये भरसक प्रत्यन करना चाहिये। परिवार नियोजन को भी अपनाया जाना चाहिये।

अत: मैं माननीय विधि मंत्री से यह संशोधन स्वीकार करने के लिये अनुरोध करता हूं।

Dr. Kailash (Bombay-South): We are discussing Fundamental duties which have been enumerated now in Article 51(a) part (j). On making a thorough study of these duties I have come to the conclusion that one has to build one's character on one's own and that it can't be done under any pressure. Also the leaders should act in the same manner as they want others to do. As regards family planning drive under the 20-point or 5-point pro-

gramme, I would like to suggest that this aspect should also have been included in the fundamental duties so that no different methods at different places are not adopted to achieve this goal.

Shri Bibhuti Mishra has suggested for the inclusion of the word "cellilacy". If not that at least part (k), reproduced as under should be added in the clauses if we want to progress bring about socialism and reduce population growth:—

Page 4—

after line 33, insert—

"(k) to promote and practise family planning transcending any religious feelings for the quick development of the country as a whole."

However, this part could be done away with after 10 to 15 years, if necessary.

Propagation of fundamental duties and making this subject a part of curriculum would enlighten the children—the citizens of tomorrow, that family planning is very necessary for the quick development of the country. I hope the hon. Minister would look into this aspect. My amendment would not incur objection from any side.

Shri S. N. Mishra, while expressing his utopian ideas, did not care to peep into what the advocates, doctors and the traders etc. are doing these days. I am grieved to know his way of thinking and also that he enjoys in finding faults with others.

श्री अर्जुन सेठी (भद्रक) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन संख्या 225 बिलकुल साधारण और स्वयं स्पष्ट है ।

कल हमने संविधान की 'प्रस्तावना' में 'समाजवादी धर्म निर्पेक्ष' शब्द जोड़े थे । अब मूल कर्त्तव्यो के अन्तर्गत वे सौम्य सिद्धान्त रखे है जिनसे राष्ट की एकतात्मकता गरिमा और एकता बढ़ेगी तथा साथ ही देश के लोगो में परस्पर सद्भाव और भाईचारे की भावना बढेगी । मैं सरकार के इन प्रयासों का हृदय से समर्थन करता हूं । परन्तु साम्प्रदायिकता से यदि अधिक बुरा नहीं तो उतना ही बुरा है जातिवाद । अत : हमें इसे हर रूप में देश से समाप्ता करना है और प्रस्तावना में 'समाजवाद' शब्द लाकर हमने यह भावना स्पष्ट कर ी है । परन्तु यदि हम इस आशय का उल्लेख विशिष्ट रूप से कर दे अर्थात् मूल कर्त्तव्यों के अन्तर्गत इसे शपथ लेकर उसका परित्याग करने की बात कह दें जैसा कि मेरे संशोधन में कहा गया है तो अधिक उत्तम होगा । देश से जातिवाद समूल समाप्त करना इस प्रकार अत्यन्त सरल हो जायेगा और यह सामाजिक बुराई सदैव के लिये खत्म हो जायेगी ।

Shri M. C. Daga (Pali): Voluminous books the Gita and the Ramayana speak of many lofty ideals and hundreds of tons of the Gitas and Ramayanas have been sold out to the people. But what is the gain?

Similarly our Government also ask the people to uphold and protect the sovereignty of the nation. It is also an ideal—a noble ideal.

To me one of our great ideals should be family planning and those who go for more than four children should be treated as traitors. Therefore every citizen should follow the national policy of family planning. Dr. Karan Singh has termed it a national policy and everybody has supported him. Then

what it has not been made a part of fundamental duties. Similarly casting vote in the elections should also be clearly termed as a national duty & primary duty of every citizen entitle to vote. Why should a candidate for the election request the voters to go and vote? Every citizen should be duty bound to cast his vote. High Court judges, District Court judges and certain other highly educated people do not like to cast their votes in municipal elections saying that they would not be affected by 'who comes and who not'. Some people think that the country is for them and that they are not for the country.

These casting vote, *suo motto*, and adopting family planning should be made fundamental duties under the Constitution. You can very well eliminate other vague ideals which you have incorporated. There is no use of having vague ideals.

If casting of vote-*suo motto*- is made a fundamental duty it would result in heavy reduction in the election expenses.

सभापतिमहोदय : यदि माननीय सदस्य किसी विशिष्ट संशोधन पर न बोल कर इधर उधर की तथा लम्बी बाते करेंगे तो अनेक संशोधनों पर विचार करने के लिये समय नहीं बचेगा क्योंकि इन पर चर्चा की अवधि निश्चत की जा चुकी है। अतः हमें शीघ्रता से विचार करना है। संशोधनों पर ही बोलिये, बड़े बड़े भाषण मत दीजिये वह आप तीसरे पाठ के समय के लिये उठा रखिये ।

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरु) : मैं खण्ड 11 पर अपने संशोधन संख्या 239 पर ही बोलूगा । मेरे चुनाव क्षेत्र के बार एसोसियेशन ने मुझ से कि मूल कर्त्तव्यों का उल्लंधन करने पर क्या दण्ड होगा और इसके लिये प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है । इसीलिये मैंने इस संशोधन की सूचना दी हैं । मेरा सुझाव है कि इन कर्त्तव्यों की अवहेलना करने अथवा उनका उल्लंधन करने पर भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्ड की व्यवस्था का प्रावधान किया जाये और इसके लिये भारतीय दण्ड संहिता में उचित संशोधन किया जाये । यह एक साधारण सा संशोधन है और अगर इसमें कोई सन्देह है तो मैं इसे वापस ले सकता हूं ।

इसी प्रकार आचरण संबंधी नियम इस समय केवल उन्ही लोगों के लिये है जो सेवा में रत हैं । ऐसे ही नियम संसद सदस्यों विधायको, सहकारिताओं में काम करने वाले तथा अन्य सार्वजनिक व्यक्तियों के लिये होने चाहिये । इसके लिये उचित प्रावधान करने पर भारत सरकार विचार करे ।

Shri Mohd. Jamillurrehman (Kishanganj): I shall speak very briefly on my four amendments. I have sought the following:—

(i) In Article 31(a), clause (c) after word 'sovereignty' add the word "dignity"

(ii) in the end of clause (f) add:
'heritage and culture of the minority'

(iii) add a new clause *i.e.* "(k) to pay taxes according to law."

And in the same clause 51-A, line 33 I suggest to add:

"Provided that violation of any of the fundamental duties shall be punishable under the Indian Penal Code."

Now I shall speak briefly on the four amendments.

The Law Minister deserves our congratulations for incorporating the clause of fundamental duties in the Constitution. Rights and duties are interdependent. We

have seen that so far people have been thinking about their rights only and they were of the view that it is the duty of Government only to do everything for them. It has done harm to the country. So it is in the fitness of things that fundamental duties are being incorporated in the Constitution.

The guarantees given to the minorities in the Constitution must be preserved. In this connection I have moved an amendment that a provision should be made in the Constitution that it will be the duty of every citizen to value and preserve the heritage and culture of the minority. It should also be the duty of every citizen to pay taxes according to law. It should also be provided that violation of any of the fundamental duties will be punishable under Indian Penal Code.

The number of Muslims in this country is about 8 to 9 crores. They have their own heritage and culture. What I mean to say that their culture and heritage should be preserved. They should be given proper representation in every walk of life and in order to ensure fair deal to them a Commission should be appointed for them on the same lines on which the Commission has been appointed for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (कोजीकोड) : मैं ने इस खण्ड पर संशोधन संख्या 306 और 353 पेश किये हैं ।

मेरा संशोधन संख्या 306 बहुत सरल है । प्रस्ताविक अनुच्छेद 51 क के उपखण्ड (ङ) मे कहा गया है :—

> "भारत के सभी लोगों में सरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे जो धर्म भाषा और प्रदेश पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं का त्याग करे, जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हैं ।"

यह उद्देश्य बहुत सराहनीय है । कोई भी स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध नहीं है । मेरा संशोधन यह है कि "स्त्री" शब्द के स्थान पर "व्यक्ति" शब्द प्रतिस्थापित किया जाये । व्यक्ति शब्द मे निश्चित रूप से "महिला" भी शामिल है ।

मैं अपने संशोधन संख्या 353 को बहुत महत्वपूर्ण समझता हूं । संविधान के अनुच्छेद 25 में उल्लिखित है :—

> "सार्वजनिक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के दूसरे उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सब व्यक्तियों की अन्तःकरण को स्वतंन्त्रता का तथा धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक्क होगा ।"

जबकि निदेशक तत्वों के अधीन अनुच्छेद 44 में कहा गया है :—

> "भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिये राज्य एक समान व्यवहार संहिता प्राप्त कराने का प्रयास करेगा ।"

ये दोनों अनुच्छेद परस्पर विरोधी हैं । इसी लिये मैं ने अपना संशोधन पेश किया है ।

अब निदेशक तत्वों को मूलभूत अधिकारों से श्रेष्ठ बनाया जा रहा है, इस से धर्म की स्वतंन्त्रता का अधिकार विशेष रूप से प्रभावित होगा । गत 29 वर्ष में अल्पसख्यकों के धर्म के अधिकार में कभी हस्तक्षेप नहीं किया गया, परन्तु अब आशंका पैदा हो गई है । इसीलिये मैं ने यह संशो-

धारा पेश किया है कि मूलभूत कर्तव्यों में यह व्यवस्था की जाये कि प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी धर्म अथवा विश्वास में हस्तक्षेप न करे तथा विभिन्न धर्मों के वैयक्तिक कानूनों के संरक्षण में सहायता और सहयोग दे।

विधेयक के उद्देश्यों तथा कारणों के विवरण में कहा गया है कि नीति निदेशक तत्वों को मूलभुत अधिकारों से श्रेष्ठतर समझा जाये। नीति निदेश तत्वों में अनुच्छेद 44 में एक समान सिविल प्रक्रिया तथा अनुच्छेद 25 में अन्तरात्मा स्वतन्त्रता का उल्लेख है। यह दोनों एक साथ संभव है। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि हमारे वैयक्तिक कानून हमारे धर्म का अंग हैं। वे कुरान तथा सुन्नत पर आधारित हैं। हमारे धर्म तथा अलग अस्तित्व का संरक्षण होना चाहिए। मैं यह नहीं समझ सकता कि जब हमारे वैयक्तिक कानून अलग हैं, तो फिर समान सिविल कानून कैसे हो सकते हैं। जब नीति निदेशक तत्वों को प्राथमिकता दी जा रही है, तो मूलभूत अधिकारों का संरक्षण कैसे होगा? मंत्री महोदय को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

श्री ओ० वी० अलगेशन (तिरूत्तनी): सभापति महोदय, हम मूलभूत कर्तव्यों के अध्याय पर विचार कर रहे हैं। उपखण्ड (ड़) में जनता से कहा गया है कि वह धर्म, भाषा, क्षेत्र और वर्ग भेद को भूलकर एकता को बढ़ावा दे। सभी विभाज्य शक्तियों में जाति सब से बुरी है। आपको ज्ञात है कि जाति के कारण देश में कितनी हानि उठानी पड़ी है। महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि जातियां खत्म होनी चाहिए। अतः मेरा सुझाव है कि "जाति" शब्द को संविधान में जोड़ा जाये, ताकि हमारे बच्चे तथा हमारी जनता इस तथ्य को समक्ष सके कि एक सुसंगत समाज की स्थापना में जाति कितनी बड़ी बाधक है और अपने लोकतंत्र को सही दिशा में चलाने के लिए हमें इससे दूर रहना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस बात पर समुचित ध्यान देंगे।

खण्ड (च) हमारी सामासिक सांस्कृतिक परम्परा को बनाए रखने से सम्बन्धित है। परन्तु हमारी सामासिक संस्कृति का अर्थ क्या है। हमारी सामासिक परम्परा अति प्राचीन है। यह मुस्लिम राज से आरम्भ नहीं हुई, हालांकि मुस्लिम संस्कृति से हमारी संस्कृति समृद्ध हुई है। हमारी सामासिक संस्कृति में केवल बाइबल और कुरान की संस्कृति शामिल नहीं है, अपितु उपनिषदों, वेदों, भगवद्गीता और तिरुकुरल की संस्कृति सम्मिलित है। यह तमिल और संस्कृत का संगम है। यह कहना गलत है कि संस्कृत एक मृत भाषा है। संस्कृत एक जीवित भाषा है और उत्तर भारत की सभी भाषाएं उसका आधुनिक रूप हैं। यदि उन में से संस्कृत निकाल दी जाये, तो उनमें कुछ भी शेष नहीं रहेगा। दक्षिण की भाषाओं पर भी संस्कृत का गहन प्रभाव है। हम उसे अलग नहीं कर सकते। अतः हमारी सामासिक संस्कृति अति प्राचीन है। इसका आधार संस्कृत का यह श्लोक है, "एकं सत् विप्राः बहुधा वदन्ति"। इसका अर्थ है कि सच एक है, परन्तु विद्वान लोग उसे भिन्न-भिन्न रूप से कहते हैं। इस भावना ने हमारी संस्कृति को सहनशील बनाया है और हमने विभिन्न संस्कृतियों को अपनाया है। हमारी संस्कृति सब से पुरानी है और हमें इस तथ्य पर बल देना चाहिए। अतः इस सम्बन्ध में 'प्राचीन' शब्द जोड़ा जाना चाहिए।

श्री के० सूर्यनारायण राव (बोबिली): सभापति महोदय, मैंने इस खण्ड पर अपने तीन संशोधन पेश किए हैं। मेरा पहला संशोधन यह है कि "बन्धुता" शब्द के स्थान पर "भ्रातृत्व" शब्द प्रतिस्थापित किया जाये।

मेरा दूसरा संशोधन यह है कि मूलभूत कर्तव्यों में से 'जीवधारियों पर दया की जाए' शब्द हटा दिए जाएं, क्योंकि लोग मांसाहारी हैं, मुर्गा, मछली खाते हैं, वह उनकी हिंसा तो करेंगे ही।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि मूलभूत कर्तव्यों में एक नया खण्ड जोड़ कर विदेशियों को भी कुछ कर्तव्य निभाने को कहा जाये, क्योंकि मौलिक अधिकारों के अन्तर्गत उन्हें भी अनुच्छेद 14, 20, 21, 22 और 31 द्वारा प्रदत्त जैसे अधिकार प्राप्त हैं। अतः जहां वे एक ओर मूलभूत अधिकारों के लिए हकदार हैं, वहां उन्हें मूलभूत कर्तव्य भी निभाने चाहिएं।

श्री कार्तिक उराँव (लोहारडगा) : अनुच्छेद 51 (क) में मूलभूत कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। मैंने इस सम्बन्ध में कई संशोधन पेश किये हैं। मेरा एक संशोधन यह है कि एक उपबन्ध द्वारा दो वर्ष के सैनिक प्रशिक्षण को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। यह प्रशिक्षण 18 वर्ष की आयु में अथवा शिक्षा समाप्त होने पर दिया चाहिए। इससे युवकों में अनुशासन की भावना पैदा होगी। ब्रिटेन में ऐसी व्यवस्था है। अतः मैं चाहता हूं कि दो वर्ष के सैनिक प्रशिक्षण का उपबन्ध किया जाये।

मेरे संशोधन संख्या 381 से 386 छोटे छोटे हैं, परन्तु वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। मंत्री महोदय को उनकी जांच करनी चाहिए। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वन्य जीवन की सुरक्षा सम्बन्धी कर्तव्य में आदिवासी शब्द भी जोड़ दिया जाये। आदिवासियों की भी सुरक्षा की जाये।

अब मैं अपने संशोधन संख्या 387 पर आता हूं। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार इस विधेयक के द्वारा क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना चाहती है। अपितु तथ्य यह है कि सरकार को अच्छी नीतियों और प्रधान मंत्री के उदार रवैये के बावजूद भी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिये कुछ विशेष नहीं किया गया है तथा उनकी अच्छी तरह देख भाल तब तक नहीं हो सकती जब तक कि समाज के समृद्ध वर्गों के लोग इन दलित समुदायों, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रति कुछ कर्तव्य एवं दायित्व न निभायें। अतः मैंने यह संशोधन पेश किया है कि एक कर्तव्य द्वारा यह बात सुनिश्चित की जाये कि प्रत्येक नागरिक समाज के कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा करेगा तथा उनका किसी भी प्रकार से शोषण नहीं होने देगा। इस संदर्भ में मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अभी तक आदिम जातीय लोगों की भूमि गैर आदिवासी लोगों द्वारा हथियाई जा रही है। अभी भी समाज के उच्च वर्गों के लोग दलित वर्गों का खुले रूप से शोषण कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गों के लिये कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिये और इसीलिये मैंने अपना संशोधन पेश किया है।

Shri Jambuwant Dhote: Mr. Chairman Sir, clause 11, which spells out the fundamental duties of the citizens has been termed as most laudable clause of the Constitution (44th Amendment) Bill. But I do not hold the same view. The inclusion of "socialist" word in the Preamble signifies that we want our country to march on the path of socialism. But the duties mentioned in clause 11, which has been exclaimed as golden clause of the Bill, nowhere mentions socialism. Even the recommendations of Swaran Singh Committee on this clause which pertain to economic matters has not been accepted. What now remains in this clause is only a tall talk of idealism. We have not mentioned what will be the duties of a citizen, but we have only talked about the idealism.

It is regretable that nothing positive has been mentioned in this clause. The clause only enumerates idealism, which is nothing than wihful thinking.

I have therefore given an amendment which spells out that duties of a citizen. I wish that it should be the fundamental duty of a citizen and a family to use swadeshi and indigenously manufactured goods only. Every youth at the age of seventeen should undertake military training in the armed forces for one

year. Every citizen should learn how to read, write and speak "Hindustani" language. Nobody should keep more than one house and more than Rs. 25000 in any bank. No body should keep jewellery, gold, silver and gold ornaments exceeding ten tolas. He should transfer immovable property exceeding the prescribed ceiling.

I hope that this amendment if accepted will have a good way for bringing socialism which is our goal.

I also want to know the reason as to why the recommendation of Swaran Singh Committee regarding the economic clause in respect of payment of income tax has been excluded from the clause of fundamental duties.

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता–दक्षिण) : सभापति महोदय, मूल कर्तव्यों को संविधान में रखने का मुख्य उद्देश्य स्वतन्त्रता और राष्ट्रीय संघर्ष के उच्च विचारों को संजोये रखना है। जब तक देश के उन लोगों को जो उच्च पदों पर आसीन हैं राष्ट्रीय इतिहास के बारे में ज्ञान नहीं होगा तब तक वह स्वतन्त्रता के उच्च आदर्शों को हृदय में कैसे संजोयेंगे। यह बहुत दुःख की बात है कि जो लोग महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त हैं और जो जनता का भाग्य निर्माण करते हैं उन्हें स्वयं भी देश के राष्ट्रीय संघर्ष के बारे में बहुत कम ज्ञान है। अतः मैंने एक संशोधन पेश किया है कि किसी भी नागरिक को सरकारी नौकरी में प्रवेश पाने से पहले देश के राष्ट्रीय संघर्ष के बारे में जानकारी होनी चाहिये और उसे "देश के राष्ट्रीय संघर्ष के इतिहास" के बारे में परीक्षा पास करनी चाहिए।

सभी स्वस्थ युवा व्यक्तियों के लिए स्कूलों और कालिजों में सैन्य प्रशिक्षण अनिवार्य बना दिया जाये। इससे हमारे जवानों के हौसले बुलन्द रहेंगे तथा आपात स्थिति में जब भी आवश्यकता पड़ेगी हम उनकी सेवाओं का उपयोग कर सकेंगे। इस अनिवार्य सैन्य प्रशिक्षण में हमें देश की सुरक्षा को बनाये रखने में सहायता मिलेगी।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गोहाटी) : सभापति महोदय, मैं मूल अधिकारों सम्बन्धी इस नये खण्ड को संविधान में शामिल किये जाने का हार्दिक स्वागत करता हूं।

हम अनुच्छेद 31घ के अन्तर्गत उन्हीं संगठनों को देश-विरोधी संगठन घोषित कर सकते हैं जो विभिन्न धर्मों, भाषाओं या क्षेत्रीय दलों अथवा जाति या समुदायों के बीच वैमनस्य पैदा करें। ऐसे संगठन के विरुद्ध कायवाही की जा सकती है। किन्तु मूलभूत कर्तव्यों में प्रथम कर्तव्य के अनुसार भारत के सभी धर्मों, भाषाओं तथा क्षेत्रीय या वर्गीय विभिन्नताओं में एकता तथा भ्रातृत्व की भावना पैदा करना है। "जाति और समुदाय" शब्द लुप्त हैं। इससे यह भ्रान्ति उत्पन्न हो जायेगी कि जैसे विभिन्न जातियों और समुदायों के बीच सामंजस्य स्थापित करने का हमारा मूलभूत कर्तव्य न हो। यह गम्भीर त्रुटि है जिसे दूर किया जाना चाहिये।

खण्ड 31घ के अन्तर्गत जाति और समुदाय शब्दों के शामिल किये जाने और 51क में इन शब्दों के लोप से ग़लतफहमी पैदा हो जायेगी।

Shri K. M. Madhukar (Kesaria): My party has given an amendment that a new sub-clause (k) should be added to the chapter of fundamental duties. The amendment says that it should be the duty of a citizen to respect the dignity of labour and the democratic right of toiling people.

It is regrettable that we do not give importance to the dignity of labour even after 29-30 years of our independence. The net result of this situation is that when under 20-Point Programme, an agricultural worker demands the minimum wages from his employed, he is beaten up and kicked off. These have been instances that when agricultural workers demanded their full wages, their houses were burnt down and they were killed. Therefor, it is imperative that dignity of labour should be taught and this should be included in the proposed chapter of fundamental duties.

Shri Chiranjib Jha (Saharsa): Mr. Chairman, I am happy that the new chapter underlying duties of a citizen has been added to our Constitution. Rights and duties are two facets of the same coin. They have to go hand to hand.

I would, however, suggest that it is not enough to say that we should cherish ideas of our national struggle and freedom. But we must also mention that while translating them into practice, we should always adopt the path of truth and non-violence which is the sacred and fundamental mode of national struggle.

In our freedom struggle there were some leaders like Bhagat Singh who had followed the path of violence. But to follow such a path would not be in the interest of our nation. Therefore, it is necessary to spell out that the path of truth and non-violence should be followed.

It is also necessary to mention this because into younger generation does not know how freedom struggle was fought. Therefore, this provision should be made more clear and specific so that they can get a clear direction from this clause.

'Caste' word should also be included in sub-clause (e) of the chapter. This amendment is necessary in order to see that atrocities of high caste Hindu are not prepetrated on the scheduled caste and harijans.

Shri Shankar Dayal Singh (Chatra): Mr. Chairman, a nation cannot be called a nation so long it has not its own national language. It had been decided by the Constituent Assembly that our official language will be Hindi, because Hindi is spoken and understood throughout the length and breadth of the country.

It is said that some Members still support the cause of English. The English language is the legacy of British rule. We should remove this blot from the face of our nation.

I have, therefore, suggested that 'National language' should also be included in sub-clause (a) in the proposed chapter of duties.

It is not only necessary to defend and under service to the country but we should also be prepared to sacrifice ourselves for this country.

In order to remove the grief between various castes that exist today. We must include 'caste' word in sub-clause (e).

It should also be our duty to protect 'birds' because some of the species of birds are fast disappearing.

We also need 'cultural decorum' to be inculcated. The same should be included in clause (h) of the chapter of duties.

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री एच० आर० गोखले) : यह बहुत सन्तोष का विषय है कि मूल कर्त्तव्यों के लिये नया अध्याय बनाने का विचार सभा के सभी सदस्यों द्वारा स्वीकार किया गया है। कोई भी कर्त्तव्य, चाहे वह कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, राजनीतिक या किसी अन्य आधार पर विवादास्पद नहीं है।

इन कर्त्तव्यों को बनाने में किसी राजनीतिक धारा या पक्षपात को ध्यान में नहीं रखा गया। नागरिकों के दैनिक कार्यकलापों के क्षेत्र के अनुसार उनके कर्त्तव्य निर्धारित किये गये हैं। ये मौलिक अधिकार अत्यन्त मौलिक हैं। ये कर्त्तव्य वर्तमान पीढ़ी तथा भावीपीढ़ी के लिये अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं।

इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि हमने यह कहा था कि स्वतन्त्रता के लिये राष्ट्रीय संघर्ष की प्रेरणा देने वाले पवित्र विचारों को अपनाना नागरिक का कर्त्तव्य होगा। यह भी कहा गया है कि स्वतन्त्रता संघर्ष के दौरान कुछ वर्ग हिंसात्मक थे। किसी के भी मन में यह संशय नहीं हो सकता कि ऐसे कौन से विचार थे जिन्होंने राष्ट्रीय संघर्ष की प्रेरणा दी थी। स्वतन्त्रता संघर्ष के लिये सबसे पहला प्रेरक विचार विदेशी ताकत से देश को मुक्त कराना था। हमारे लोगों का आर्थिक तथा सामाजिक उद्धार जैसी भी कोई चीज है। अतः यह किसी भी विवाद का विषय हो सकता है।

जब इन मौलिक कर्त्तव्यों को स्वीकार कर लिया गया है तो राज्यों का यह सुनिश्चित करने का कर्त्तव्य होना चाहिये कि हमारी शिक्षा पद्धति के हर स्तर पर इन कर्त्तव्यों के बारे में सिखाया जाये।

मेरे माननीय मित्र श्री इब्राहीम सुलेमान सेट ने महिलाओं की गरिमा को कम करने की बातों को छोड़ने के बारे में उल्लेख किया है। भारत में अनादिकाल से महिलाओं का सम्मान और उनकी पूजा होती आ रही है। समूची सांस्कृतिक देन यह है कि हम महिलाओं का आदर करते रहे हैं और यह सुनिश्चित करते रहे हैं कि उनकी मर्यादा पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने पाये। लेकिन फिर भी अभी तक कई कुप्रथाएं हैं जिनमें दहेज प्रथा एक है। इससे महिलाओं की प्रतिष्ठा कम हुई है। महिलाओं की प्रतिष्ठा घटाने वाली प्रथाओं को त्यागना प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है।

वैज्ञानिक मनोदशा क्या है? प्रत्येक व्यक्ति का तर्कसंगत दृष्टिकोण होना चाहिये। उसे हठधर्मी नहीं बरतनी चाहिये और न ही परम्परा में बंध कर ही रहना चाहिये। इससे किसी भी प्रश्न पर विचार करने के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता। जांच और सुधार का अर्थ यह है कि हमें अपने मस्तिष्क के कपाट बन्द नहीं रखने चाहियें। हमें जांच करके इस बात का पता लगाना चाहिये कि समाज को किन सुधारों की आवश्यकता है और हमें उन पर विचार करना चाहिये।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
MR. SPEAKER *in the Chair.*]

मन्त्रियों के कर्त्तव्यों के बारे में भी उल्लेख किया गया है। मन्त्री भी अपने कर्त्तव्यों से मुक्त नहीं हैं। यदि हम मंत्रियों के लिये कर्त्तव्यों की व्यवस्था करते हैं तो हमें पुलिस वालों से लेकर सभी प्रकार के व्यक्तियों के लिये कुछ कर्तव्य रखने होंगे और सरकार की योजना में प्रत्येक व्यक्ति का महत्वपूर्ण स्थान है।

श्री धोते और श्री अलगेशन ने पूछा है कि करों के भुगतान सम्बन्धी कर्त्तव्य को क्यों नहीं शामिल किया गया है? ऐसा केवल इसलिये नहीं किया गया क्योंकि हम जनता के समक्ष कर्तव्यों के रूप में एक उच्च आदर्श रखना चाहते हैं और करों जैसे मामूली मामले का यहां कुछ महत्व नहीं है। परन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि करों के भुगतान सम्बन्धी कोई कर्त्तव्य नहीं हैं। निश्चय ही करों का भुगतान करना एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है। इसके लिये कानून बना हुआ है। इन शब्दों के साथ मैं सभा से इस अनुच्छेद को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : खण्ड 12 पर श्री अलगेशन का एक संशोधन है।

श्री ओ० वी० अलगेशन: मैं संशोधन संख्या 323 पेश करता हूं। खण्ड 12 में कहा गया है कि लोक सभा के निर्वाचन क्षेत्रों का निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर किया जायेगा। इसका

अर्थ यह हुआ कि जिन राज्यों ने परिवार नियोजन को व्यापक रूप से लागू किया है उन्हें इससे नुकसान होगा और जिन्होंने इसे लागू करने में ढिलाई बरती उन्हें लाभ होगा। इसलिये मेरा सुझाव है कि 1971 की जनगणना के बजाय 1957 की जनगणना को लिया जाये।

श्री एव० आर० गोखले : इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि हम बहुत पीछे चले जायेंगे। ऐसा करना सम्भव नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : अब हम खण्ड 13 पर विचार करते हैं।

श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी : मैं संशोधन संख्या 207 और 255 पेश करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा : मैं संशोधन संख्या 338 पेश करता हूं।

श्री कार्तिक उराँव : मैं संशोधन संख्या 388 पेश करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा: खण्ड 13 में कहा गया है कि राष्ट्रपति मन्त्रि-परिषद् के परामर्श से काम करेगा। हम चाहते हैं कि इसमें यह भी जोड़ा जाये कि राष्ट्रपति किसी भी अवस्था में संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध काम नहीं करेगा। जापान और कई अन्य देशों के संविधानों में भी ऐसे उपबन्ध किये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप बाद में अपना भाषण जारी रखेंगे। अब मतदान का समय हो गया है। मतदान शुरू होने से पहले मैं सदन को सूचित करना चाहता हूं कि कुछ सदस्यों ने मुझे बताया है कि 30 अक्तूबर, को उन्होंने कुछ कार्यक्रम पहले से निर्धारित कर रखे हैं इसलिये वे शनिवार को मतदान के समय उपस्थित नहीं हो सकेंगे। उन्होंने अनुरोध किया है कि शनिवार को कोई मतदान न हो और जिन खण्डों पर शनिवार को चर्चा पूरी हो जाये उन पर मतदान सोमवार को किया जाये। अतः मेरा सुझाव है कि शनिवार, 30 अक्तूबर को मतदान नहीं हो, और शनिवार और सोमवार को जिन संशोधनों और खण्डों पर चर्चा समाप्त हो उन पर मतदान सोमवार को सायं 5.30 बजे किया जाये। आशा है कि सदन इससे सहमत होगा।

श्री के० रघुरामैया : मैंने देखा है कि कुछ सदस्य इस विधेयक पर विचारार्थ कुछ और अधिक समय चाहते हैं। सदस्यों की इच्छा पूर्ति के लिये 2 नवम्बर को भी इस विधेयक पर चर्चा की जानी चाहिये। इस विधेयक पर 2 नवम्बर को चर्चा समाप्त करने के लिये मैं अनुरोध करता हूं कि हम आज और कल मध्याह्न पश्चात् 8.00 बजे तक बैठें।

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में सभा इस सुझाव से सहमत हैं। सभा आज और कल मध्याह्न पश्चात् 8.00 बजे तक बैठेगी। अब मतदान आरम्भ होगा। अब मैं खण्ड 8 पर संशोधन संख्या 454 को मतदान के लिये रखता हूं।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में Ayes	. .	27
विपक्ष में Noes	. .	325

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड 8 के शेष सभी संशोधनों को सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8 विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में . . .	356
Ayes	
विपक्ष में . .	शून्य
Noes—0	

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

खण्ड 8 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 8 was added to the Bill.

नए खण्ड 8 के बारे में

अध्यक्ष महोदय : अब मैं नये खण्ड 8क के अन्तःस्थापित किये जाने के बारे में श्री धरनीधर दास द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 342 को सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was put and negatived.

खण्ड 9

Clause 9

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 455, 456 और 457 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

The amendment was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ द्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 490 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में . 027

Ayes

विपक्ष में . 325

Noes

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 9 पर शेष सभी संशोधन सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 357

Ayes

विपक्ष में . 001

Noes

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 9 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 9 was added to the Bill.

नया खण्ड 9 क

New Clause 9A

अध्यक्ष महोदय : अब मैं एक नये खण्ड 9क का अन्तःस्थापन किये जाने के बारे में श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा पेश किये गये संशोधन संख्या 572 और 573 को सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

खंड 10

Clause 10

अध्यक्ष महोदय : मैं श्रीमती पार्वती कृष्ण द्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 459 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में	. .	20
Ayes		
विपक्ष में	. . .	329
Noes		

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 10 पर शेष सभी संशोधन सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।

The amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 10 विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में	. . .	358
Ayes		
विपक्ष में	. . .	शून्य
Noes		

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 10 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 10 was added to the Bill

खंड 11

Clause 11

अध्यक्ष महोदय : मैं श्री इब्राहीम सुलेमान सेट द्वारा पेश किया गया संशोधन संख्या 353 सभा के मतदान के लिये रखता हूं ।

संशोधन अस्वीकृत हुआ ।

The amendment was negatived.

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं खंड 11 पर शेष सभी संशोधन सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

संशोधन मतदान के लिए * रखे गए और अस्वीकृत हुए

The amendments were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 11 विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में . . .	355
Ayes	
विपक्ष में .	शून्य
Noes	

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 11 विधेयक में जोड़ा गया ।

Clause 11 was added to the Bill.

खंड 12

Clause 12

श्री ओ० वी० अलगेसन : मैं सभा की अनुमति से संशोधन संख्या 323 वापस लेता हूं ।

संशोधन सभा की अनुमति से वापस लिया गया ।

The amendment was, by leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : मैं खण्ड 12 को सभा के मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 12 विधेयक का अंग बने ।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

The Lok Sabha divided.

पक्ष में . . .	356
Ayes	

विपक्ष में शून्य

Noes

प्रस्ताव सभा की कुल सदस्यता के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से स्वीकृत हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खंड 12 विधेयक में जोड़ा गया।

Clause 12 *was added to the Bill*

खंड—13—जारी

Clause—13—cont.

Shri M. C. Daga: I was telling that the Constitution has a Chapter on Directive Principles of State Policy. These are expressly stated to be fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the State to apply these principles in making laws'. If a Bill is passed which, in the opinion of the President, Voilates one of these Principles, is he bound to act according to Ministerial advice and give assent to it? If he does so, be may be accused of having violated the Constitution which he is bound, under oath, to uphold and defend. The President takes oath to act within the framework of the Constitution. I want the status-quo in his respect. For example, it has been provided in the Constitution of Japan that the Emperor shall perform only such acts in matters of State as are provided for in this Constitution. As the President takes oath under the Constitution, it is his duty to act within the framework of the Constitution.

श्री कार्तिक उरांव : मैंने संविधान के अनुच्छेद 72 पर संशोधन पेश किया है। संविधान में किये जाने वाले व्यापक संशोधनों से 20 सूत्री और 5 सूत्री कार्यक्रमों को लागू करने में सहायता मिलेगी और इससे समाजवादी, धर्म निरपेक्ष लोकतान्त्रिक गणराज्य की स्थापना में आने वाली सभी रुकावटें दूर होंगी। इसकी प्राप्ति किस प्रकार हो सकती है? यह केवल तभी हो सकता है जब कि कार्यपालिका के प्रधान के प्रति सब निष्ठावान रहें।

परम्पराओं और रूढ़ियों को तोड़ कर तथा कार्यपालिका के प्रधान के प्रति निष्ठा की भावना रखने से ही यह उपलब्धि हो सकती है। प्रधान मन्त्री का चुनाव कोई सहयोग से नहीं होता है बल्कि सुव्यवस्थित लोकतांत्रिक प्रक्रिया के आधार पर ही होता है। प्रधान मन्त्री उस दल से निर्वाचित किया जाता है जिसका लोकसभा में बहुमत होता है। दूसरे, लोकसभा के उस सदस्य को सत्ताधारी दल का नेता और फिर बाद में प्रधान मन्त्री निर्वाचित किया जाता है जिसे लोकसभा के सदस्यों का बहुमत प्राप्त होता है, अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधान मन्त्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य मन्त्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधान मन्त्री की मंत्रणा पर करेगा। अतः "प्रधान मन्त्री की मंत्रणा" में शब्द स्पष्ट हैं। इसलिए प्रधान मन्त्री को इसका पूर्ण अधिकार होना चाहिए। आम चुनावों से जिस दल को सत्ता प्राप्त होती है उसे जनता का आदेश मिलता है कि वह अपने वचनों को विधान के द्वारा पूरा करे। यह सारी जिम्मेदारी प्रधान मन्त्री के ऊपर आ जाती है। अतः खण्ड 13 में इस प्रकार संशोधन किया जाये जिससे कि मन्त्रि-परिषद् के अध्यक्ष प्रधान मन्त्री को इस बात का पूर्ण अधिकार प्राप्त हो कि वह राष्ट्रपति को परामर्श दे सके और राष्ट्रपति इसके अनुसार कार्य करे। अतः मेरा संशोधन निःसंकोच भाव से स्वीकृत किया जाना चाहिए।

श्री निम्बालकर : वास्तविकता यह है कि इस संशोधन से मूल पाठ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, केवल उसके ढांचे में ही परिवर्तन आया है। स्वतन्त्रता के बाद से अभी तक ऐसा एक भी अवसर नहीं आया है जबकि राष्ट्रपति ने यह काम करने से इंकार किया हो जिसे प्रधान मन्त्री करना चाहती थीं।

अतः यह संशोधन भ्रामक है। समझ में नहीं आता सरकार की दृष्टि में यह इतना आवश्यक क्यों है। वस्तुतः संवैधानिक अध्यक्ष का विचार हमने इंग्लैण्ड से प्राप्त किया है जिसे हम आज तक बनाये हुए हैं।

राष्ट्रपति का कर्त्तव्य और उसका मूल्य प्रतीकात्मक है। लेकिन भारत की परम्परा ऐसी है कि प्रतीक का मूल्य के कारण मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

मेरे विचार से राज्याध्यक्ष होने के नाते राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां प्राप्त होनी चाहिएं अन्यथा राष्ट्रपति के विदेश जाने पर वहां के लोग यही सोचेंगे कि वह एक रबड़ की मोहर के समान ही है लेकिन उसे स्वविवेकी शक्तियां प्राप्त होने पर, जिनका कि वह अपने विवेक से उपयोग करे, उस देश के लोग ऐसा नहीं सोचेंगे। दूसरे इस नये खण्ड से जिसे सरकार लाई है, कभी भी राष्ट्रीय संकट पैदा हो सकता है। इसलिए इस खण्ड में यह अन्तःस्थापित कर दिया जाये "परन्तु लोकसभा भंग करने तथा उसमें सम्बन्धित मामलों, अथवा अस्थाई सरकार या जब अध्यादेश जारी किया जाये तथा संविधान (44 वां संशोधन) अधिनियम, 1976 के खण्ड 20 और 33 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए राष्ट्रपति अपने निर्णय और विवेक का उपयोग कर सकता है।'

राष्ट्रपति की स्वविवेक से आचरण करने की अनुमति देने से हमें यह आशा करनी चाहिए कि वह इसका दुरुपयोग नहीं करेगा। लेकिन अब तक किसी राष्ट्रपति ने प्रधान मन्त्री से अपनी असहमति प्रकट नहीं की है। और यदि उसने ऐसा किया भी है तो भी उसने प्रधान मन्त्री की इच्छा का ही पालन किया है।

मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकार को संविधान में संशोधन करने का अधिकार है। लेकिन ये संवैधानिक उपबन्ध तो आपातस्थिति के लिए हैं। राष्ट्रपति जब कभी इन आपातशक्तियों का दुरुपयोग करेगा तो वह तानाशाह बन जाएगा। किसी संविधान में ऐसा उपबन्ध नहीं है। जिससे कि उसे तानाशाह बनने से रोका जा सके। इस स्थिति को लोकतन्त्र ही रोक सकता है। लोकतन्त्र दो बातों पर आधारित है। पहले देश में निष्पक्ष भाव से चुनाव किए जाएं और दूसरे ये चुनाव नियमित रूप से कराए जाएं।

मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि भारत का कोई भी प्रधान मन्त्री ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे कि राष्ट्रपति को प्रधान मन्त्री का परामर्श मानने में कठिनाई हो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि भारत की जनता इतनी जागरूक है कि वह सही व्यक्तियों को ही भेजेगी और हम भी इतने प्रबुद्ध हैं कि सही व्यक्ति को ही प्रधान मन्त्री चुनेगें।

यदि राष्ट्रपति को वे शक्तियां नहीं दीं गई जिनका कि मैंने अपने संशोधन में उल्लेख किया है तो विपक्ष यह कहेगा कि सत्ता धारी दल ने सत्ता में बने रहने के लिए राष्ट्रपति को गलत सलाह दी है। क्योंकि जब कभी संसद के दोनों सदनों द्वारा कोई विधान पास किया जाता है तो राष्ट्रपति को उसपर अपनी अनुमति देनी ही पड़ती है इसलिए ये दोनों बातें ही मौलिक हैं। किसी भी संशोधन का ढ़ांचा परिवर्तित भले ही हो जाए। लेकिन उसका स्वरूप नहीं बदलना चाहिए।

श्री शिवाजी राव एस० देशमुख (परमणि) अध्यक्ष महोदय ने कहा है कि यदि कोई और सदस्य बोलना चाहे तो उसे अनुमति दे दी जानी चाहिए।

सभापति महोदय : हम जिन नियमों का पालन कर रहे हैं उनके अनुसार केवल उन्हीं सदस्यों को ही बोलने की अनुमति दी गई है जिन्होंने अपने संशोधनों की सूचना दी है? किसी अन्य सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : पीठासीन अधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वह यह देखे कि क्या कोई मामला बहुत महत्वपूर्ण है? यदि सभापति महोदय अपने इस अधिकार का उपयोग नहीं करना चाहते तो हम निःसहाय हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि क्या वह इस मामले को अत्यन्त महत्वपूर्ण समझते हैं।

सभापति महोदय: हमारे पास समय का अभाव है? मैंने इस खण्ड को इतना महत्वपूर्ण नहीं समझता कि उन सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जाये जिन्होंने अपने संशोधनों की सूचना नहीं दी है। एक सदस्य को बोलने की अनुमति देने से दूसरे को भी देनी पड़ेगी और हम अपना कार्य पूरा नहीं कर पायेगें। इसलिए अन्य सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं मिलेगी।

Shri Jambuwant Dhote: We are discussing very important clause of this Constitution Bill. Law Minister is replyng to the debate on the motion for consideration. But there is no quorum in the House. Now business of the House cannot proceed without quorum. .....

श्री पी० जी० मावलंकर: मैं उनका समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय : अब सभा में गणपूर्ति हो गई है। इस समय सभा में 53 सदस्य हैं। इससे मैं संतुष्ट हूं।

श्री एच० आर० गोखले : मैं ने खण्ड 13 को पुरःस्थापित करने का मुख्य उद्देश्य पहले ही बता दिया है। मैं इस खण्ड को पुरःस्थापित करने की आवश्यकता नहीं समझता। मैं इस खण्ड पर दिये गये संशोधनों पर विचार करूंगा। श्री कार्तिक उरांव द्वारा पेश किया गया संशोधन स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह उन बुनियादी आधारों के विरुद्ध है जिन पर संसदीय प्रणाली की सरकार आधारित है। यदि यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है, तो भी मंत्रिपरिषद् राष्ट्रपति को परामर्श देगी और उसका परामर्श राष्ट्रपति को मानना अनिवार्य है। यही बात अब विचाराधीन खण्ड में कही गई है।

श्री डागा द्वारा पेश किये गये संशोधन में कहा गया है कि "किसी भी मामले में संविधान के उपबन्धों के विरुद्ध नहीं"। मेरे विचार में ऐसा संशोधन गलत दिशा में एक प्रयास होगा, क्योंकि जिस परामर्श को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है उसे केवल मंत्रिपरिषद् ही दे सकती है।

श्री निम्बालकर ने इस आशय का संशोधन पेश किया है कि राष्ट्रपति को अपना निर्णय स्वयं दें और वह स्वविवेक का उपयोग करे अर्थात् राष्ट्रपति को स्वविवेकी शक्तियाँ दी जायें। इस सम्बन्ध में यह सर्वविदित ही है कि संविधान के समूचे ढाँचे में राष्ट्रपति को ऐसा कोई अधिकार नहीं है जिनका वह अपने विवेक से उपयोग कर सके। इस संशोधन के किये जाने से पहले भी राष्ट्रपति को सदैव मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करना होता था। इस विषय पर संविधान सभा में विस्तृत चर्चा हो चुकी है। अतः संविधान के आरम्भ से आज तक स्थिति यह है कि राष्ट्रपति को परामर्श दिया जाता है और वह उसके अनुसार कार्य करने को बाध्य है। इसलिये अब कोई नया उपबन्ध करने की गुंजाइंश नहीं है।

राज्यपालों का मामला इसके तुल्य नहीं है। उनका मामला कुछ भिन्न है क्योंकि संविधान में कुछ ऐसे उपबन्ध निहित हैं जिनके आधार पर राज्यपाल अपनी मंत्रीपरिषद की सलाह पर कार्य करने के लिये बाध्य नहीं है किन्तु राष्ट्रपति के लिये यह गुंजाइंश नहीं हैं। अतः ये तीनों संशोधन स्वीकार नही किये जा सकते।

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 14 पर विचार करेंगे।

श्री विभूति मिश्र : मैं अपना संशोधन संख्या 85 प्रस्तुत करता हूं।

श्री ओ० वी० अलगेसन : मैं अपना संशोधन संख्या 324 प्रस्तुत करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं अपना संशोधन संख्या 461 प्रस्तुत करता हूं।

Shri Bibhuti Misra: I request the hon. Minister to accept my amendment to clause 14 of the present Bill which reads 'that production of such rules before the courts should be prohibited only if such production is against the interest of the country. If because of this any individual is in trouble the Government should not find it difficult to produce these rules before the Court.

श्री ओ०वी० अलगेसन: विधेयक के खण्ड 14 में प्रस्तावित संशोधन के अनुसार भारत सरकार के कार्य को अधिक सुविधापूर्वक करने के लिये न्यायालयों को इन नियमों की जांच करने से रोका गया है। लेकिन मेरे संशोधन का यह उद्देश्य है कि मंत्रियों में कार्य के बंटवारा करने के नियमों की न्यायालयों द्वारा जांच किया जाना आवश्यक नहीं है। ये दोनों अन्योन्याश्रित है। इसलिये जब तक सरकार विशेष रूप से यह नहीं चाहती कि सरकार के कार्य का मंत्रियों में आवंटन करने के नियम न्यायालय को उपलब्ध कराये जायें, तब तक इसे न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर ही रखना उचित होगा।

श्री जाम्बुवन्त धोटे : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सभा में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : गणपूर्ति की घण्टी बजा दी गई है। अब तक सभा में 54 सदस्य है और गणपूर्ति हो गई है। गणपूर्ति सम्बन्धी प्रश्न प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों का मामला नहीं है। गणपूर्ति का निर्णय करना तो पीठासीन अधिकारी का दायित्व है। अत: इस सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठता। जब तक पीठासीन अधिकारी यह नहीं कहे कि सभा में गणपुर्ति नहीं है तब तक यही समझना चाहिये कि सभा में गणपूर्ति है।

श्री पी० जी० मावलंकर : यह कैसे हो सकता है ?

सभापति महोदय : अब यहां 54 सदस्य है और गणपूर्ति हो गई है।

श्री ओ० वी अलगेसन : जब तक सरकार विशेष रूप से यह नहीं चाहती कि मंत्रियों में कार्य बांटने सम्बन्धी नियम न्यायालय को उपलब्ध कराये जायें, तब तक इस संशोधन को स्वीकार न करने का कोई कारण नहीं है।

Shri Jamburwant Dhote: Mr. Chairman, Please see Article 100.

सभापति महोदय : संविधान अनुच्छेद 100 की मुझे भी जानकारी है। अब प्रश्न यह है कि गणपूर्ति के बारे में कौन निश्चय करेगा कि कितने सदस्यों की उपस्थिति से गणपूर्ति हुई मानी जायेगी। इसका निश्चय करना पीठासीन अधिकारी का दायित्व है। और मैं इस बात से सन्तुष्ट हूं कि सभा में गणपूर्ति है। अत: मैं यह निर्णय देता हूं कि सभा में गणपूर्ति है। मैं इस सम्बन्ध में किसी की कोई चुनौती स्वीकार नहीं करूंगा ?

श्री ओ० वी० अलगेसन : अत: "भारत सरकार के कार्य को अधिक सुविधा के साथ करने" इन शब्दों को इस खण्ड से निकाल दिया जाये।

श्री डी० के० पंडा (भंजनगर) : मैं पहले ही अपना संशोधन संख्या 411 प्रस्तुत कर चुका हूं। यह कोई साधारण संशोधन नहीं है। इसकी गम्भीरता पर विचार करना चाहिये। इसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। किसी व्यक्ति द्वारा अपने हितों के बचाव के लिये कोई कागजात मांगने के अधिकार के बारे में यह प्रश्न उठता है कि क्या न्यायालय इस के लिये आदेश जारी कर सकता है अथवा नहीं। लेकिन इस संशोधन के द्वारा उस व्यक्ति को अपने इस अधिकार से वंचित किया गया है। राष्ट्रपति द्वारा जारी किये गये किसी नियम को न्यायालय जांच नहीं कर सकता। पूर्व अनुभव के आधार पर मैंने अपने दल की ओर से यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि "जहां ऐसे कागजातों की न्याय या शक्तियों के दुरूपयोग को रोकने के लिये आवश्यक हो वहां इन्हें पेश किया जाये"।

इससे उन कर्मचारियों को कठिनाई में डाला जा सकता है जो अपने अधिकारियों द्वारा दिये गये मौखिक आदेशों के अनुसार कार्य करने पर बाध्य हो जाते है। और कागजों में मौखिक आदेशों का उल्लेख नहीं करते हैं। उन पर लापरवाही से कार्य करने का दोष लगाया जाता है। यह अखिल भारतीय नागरिक कर्मचारी आचार संहिता नियमों के प्रतिकूल है।

सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों के बचाव के लिये ऐसे नियमों का पेश किया जाना आवश्यक है। यदि ऐसा करने की अनुमति न हो तो उस मामले में क्या किया जायेगा जिसमें कोई भ्रष्ट मंत्री अपना अपराध अधिकारियों पर थोपें।

प्रस्तावित खण्ड से उन कर्मचारियों को कठिनाई हो सकती है जो अपने मालिकों अथवा सरकार की मनमानी के शिकार हुए हों। उदाहरणत: कर्मचारियों को बर्खास्त करने अथवा अनिवार्य रूप से सेवा निवृत करने के सम्बन्ध में मंत्री महोदय यह कह सकते है कि मैंने ऐसा नहीं किया तथा यह अधिकारियों द्वारा किया गया है। यदि कर्मचारियों को नियम पेश करने की अनुमति दी जाये तो वह न्यायालय को उन नियमों को दिखा कर अपना बचाव कर सकता है तथा स्वयं को उन आरोपों से मुक्त कर सकता है जो उस पर लगाये गये हैं। इसलिये मैं मंत्री महोदय से इस संशोधन के स्वीकार किये जाने का अनुरोध करता हूं।

श्री० एच० आर० गोखले : आंसुका अथवा रेल अधिनियम अथवा सरकारी कर्मचारी आचरण नियम का इस खण्ड से कोई सम्बन्ध नहीं है। उन्हें अदालत में पेश किया जा सकेगा।

सरकार ने अपने कार्य को चलाने के लिए पृथक् नियम बनाये हैं। वह अपना प्रशासनिक कार्य किस प्रकार करती है यह सिरदर्द किसी और से सम्बन्धित नहीं हैं। बहुत से मामलों में यह मांग की जा सकती है कि कार्य सम्पादन सम्बन्धी नियमों को पेश किया जाये। ऐसा करने के लिए कहने के पीछे कोई औचित्य नहीं है।

फ़िर यह विचार भी नहीं है कि किसी व्यक्ति को नियमों को पेश करने से और न्यायालय को उन नियमों की जांच करने से रोका जाये। यह कहना असंगत होगा कि न्यायालय उन्हें न्याय के हित में पेश करे। न्याय इन नियमों पर आधारित नहीं है।

इस खण्ड में हमने संविधान में पहले से प्रयुक्त भाषा का ही प्रयोग किया है। इसलिए 'सरकार का कार्य अधिक सुविधा से करने' शब्दों को निकाल देना आवश्यक ही नहीं है वरन् इनसे कुछ उलझनें पैदा हो सकती हैं क्योंकि कार्य का आवंटन करने और कार्य सम्पादन करने के नियमों में भिन्नता है। यह खण्ड केवल कार्य सम्पादन नियमों तक सीमित है। इसका सम्बन्ध किन्हीं अन्य नियमों से नहीं है।

श्री डी० के० पंडा : आर्थिक मामलों सम्बन्धी नियमों का क्या होगा?

श्री एच० आर० गोखले : कार्य-सम्पादन से असम्बद्ध किसी भी नियम पर ऐसी रोक नहीं है।

खंड 15

सभापति महोदय : श्री अलगेशन

श्री ओ० वी० अलगेशन : मैं अपना संशोधन पेश नहीं कर रहा हूं।

खंड 16 (अनुच्छेद 82 का संशोधन)

Shri Bibhuti Mishra: My amendment to this clause is very important. A Constituency should not be reserved for two or more Consecutive elections to

the Houses of the People on State Legislature because the non-Scheduled Castes population of that area thinks that we are not getting any representation and similarly the Scheduled Caste population of other Constituencies feel that we are at loss. Therefore, my suggestion is that the reserved Constituency should be changed after every election. This will be beneficial for both Scheduled Castes and non-Scheduled Castes. So I request that this amendment of mine should be accepted in the name of justice.

Instead of appointing a retired judge a judge in service should be appointed in Election Commission and should not be appointed the Chairman of Delimitation Commission after a period of 3 years.

श्री एच० आर० गोखले : वे सभी प्रश्न जो उठाये गये हैं इस अनुच्छेद के एक संशोधन में नहीं आ सकते। यह कहा गया है कि एक निर्वाचन क्षेत्र को दो बार से अधिक अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित न रखा जाये। परन्तु यह सम्भव नहीं क्योंकि यह सुरक्षण उस क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। इसलिए किसी भी निर्वाचन क्षेत्र को दो बार से अधिक समय तक सुरक्षित करने पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगाना उपरोक्त व्यवस्था के सर्वथा विपरीत है।

यह भी कहा गया है कि 3 वर्ष के बाद उसी व्यक्ति को परिसीमन आयोग का अध्यक्ष नहीं बनाया जाये। परन्तु यह प्रश्न यहां नहीं उठता क्योंकि परिसीमन आयोग का गठन संविधान के अन्तर्गत नहीं किया गया है। परिसीमन आयोग के गठन करने पर उसके अध्यक्ष की नियुक्ति करना सरकार का काम है।

खंड 17

श्री विभूति मिश्र : मैं संशोधन संख्या 9 पेश करता हूं।

सरदार स्वर्ण सिंह सोखी : मैं संशोधन संख्या 30 पेश करता हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं संशोधन संख्या 109 पेश करता हूं।

श्री एस० एम० बनर्जी : मैं संशोधन संख्या 462 पेश करता हूं।

Shri Bibhuti Mishra: In my amendment I have suggested that life of Lok Sabha should be extended upto 7 years instead of 6 years because the 20-Point and 5 point programmes have not still been implemented fully. More time is required for their proper implementation. We are not afraid of facing the elections. But if government involve themself in election these programmes will be left in between. As such my amendment may kindly be accepted.

श्री दरबारा सिंह (होशियारपुर) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। खण्ड 17 के लिए मेरे संशोधन संख्या 287 और 288 थे परन्तु मेरा नाम नहीं लिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय : संशोधन संख्या 287 में कुछ नाम दिये जाने के बाद "और अन्य" जोड़ दिया गया है। शायद जगह की कमी से। आपका और श्री गिल का नाम यहां है।

Shri Swaran Singh Sokhi (Jamshedpur): No where in the Objects and Reasons of the bill it has been mentioned that why the life of the Lok Sabha is being extended from 5 to 6 years. So my submission is this that the same reasons can be applied to extend it upto 7 years. India is a big country and it is not possible

to contact all the electorates in 5 years time. If at all you are extending the life then extend it upto 7 years or do not extend it at all. There should be bye elections for Rajya Sabha after every three years.

श्री सी० एम० स्टीफन : खण्ड 17 के उपखण्ड (एक) में कहा गया है कि कार्यकाल 5 के बजाय 6 वर्ष होना चाहिए और उपखण्ड में कहा गया है कि यह वर्तमान सदन पर लागू होगा। वर्तमान सभा का कार्यकाल मार्च, 1977 तक है। यह समय वृद्धि हम ने कानून पास करने की थी। यह कहा जाएगा कि अपना कार्यकाल समाप्त होते देख कर लोक सभा ने संविधान में संशोधन कर दिया जिससे कि वह एक वर्ष और विद्यमान रह सके। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस उपखण्ड का कोई महत्व नहीं रहता क्योंकि यह सभा इस उपखण्ड के न रहने पर भी 6 वर्ष तक बनी रहती।

दूसरी ओर हमें विधान सभाओं का कार्यकाल भी 6 वर्ष करना चाहिए। यह उप-खण्ड सर्वथा अनावश्यक है।

Shri R. P. Yadav (Madhepura): Clause 17 seeking to amend Art 83(2) provides that the term of Lok Sabha be extended from 5 to 6 years. I suggest that this term be extended to 7 years. If the period of Lok Sabha is fixed as 7 years, the members will get more time to evaluate the performance in the direction of achieving plan targets. Then it is also essential to bring about the implementation of the 20-Point Programme and the 5-Point Programme. To achieve that purpose, it is also necessary that the term of the Lok Sabha be extended to 7 years.

Shri Md. Jamilurrahman (Kishanganj): The Congress Party had never been afraid to face elections. It has got certain principles and on those principles only we are being elected to the Parliament as well as Assemblies again and again. Our Party has always aimed at serving the people. Everyone knows who vitiated the industrial atmosphere in the country resulting in loss of production both at agricultural and industrial fronts. It is also a fact that emergency has brought certain gains and this has been conceded even by the opposition also.

Mr. Deputy Speaker, Sir, now we have to see that these gains are consolidated and it has to be ensured that funds set apart for new welfare schemes under the 20-Point programmes are properly utilised to bring adequate gains to those sections of society for whom such schemes are aimed at. Now this review has to be undertaken in order to fix responsibility at block and district levels for lapses in implementation of these Schemes. I, therefore, feel that the term of Parliament should be extended by another year.

Regarding holding of elections, there are no two opinions that elections should be held. We are not shy of contesting elections. I hope Shri Gokhale will accept this amendment.

Shri Jagannath Mishra (Madhubani): Sir, we have never fought shy of elections and in the past the House was dissolved even before its term had come to an end, but now that we have made some very important amendments in our Constitution, we want to supervise the implementation successfully. I, therefore, appeal to Members on the other side to consider this point seriously and support our move for further extension of the term of Lok Sabha. I hope that this amendment will receive the support of all sections of the House including the Government.

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर): महोदय, हमारे दल ने संविधान में एक संशोधन करने का प्रस्ताव किया है जिसके द्वारा संसद् की कालावधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी और यह अवधि जिस दिन पूरी होगी उसी दिन सदन भंग हो जायेगा। जब लोक सभा की कालावधि बढ़ाने का प्रस्ताव गत वर्ष पहली बार रखा गया था तब सरकार ने स्पष्ट यह आश्वासन दिया था कि देश की स्थिति के कारण ऐसा किया जा रहा है और पुनः यह कालावधि नहीं बढ़ाई जायेगी परन्तु लगता है कि 'मीसा' के दुरुपयोग की भांति इसकी कालावधि पुनः बढ़ाने की बात कही जा रही है। इसके पक्ष में यह तर्क दिया गया है कि नये कार्यक्रम और बीस-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए सभा की अवधि बढ़ाये जाने की आवश्यकता है। मैं पूछता हूं कि हम वर्तमान सदस्य न भी रहे फ़िर भी यह सदन तो रहेगा ही। इसलिए यह कहां आवश्यक है कि हम ही बने रहें। समाजवाद और लोकतंत्र कुछ व्यक्तियों के रहने या न रहने से टलेगा नहीं। अतः यह संशोधन आवश्यक नहीं है। इस सदन को बनाने वाले हम सदस्यगण नहीं हैं——जनता है। यदि हम यह संशोधन पास कर देंगे तो लोग हमें क्या कहेंगे? इसीलिए मधु लिमये ने त्याग-पत्र दे दिया है।

Shri Bibhuti Mishra: On a point of order, Sir, if elections are held now, land ceiling petitons will glut the costs and what is aimed to be done under the 20-Point programme will be utterly defeated. Therefore one year's time is necessary. (*Interruptions*)

श्री एम० एम० बनर्जी: उनका यह तर्क संगत नहीं है। जब सभा की अवधि 5 से 6 वर्ष की गई थी तब औचित्य था और इसीलिए हमने इसका समर्थन किया था परन्तु अब इसका कोई औचित्य नहीं है। यदि प्रधान मंत्री या विधि मंत्री हमें तर्कपूर्ण ढंग से इसका औचित्य समझा तो बात अलग है वर्ना जनता तो चाहे चुनाव और आप उनकी खिदमत' करना चाहें तो कैसे चलेगा प्रश्न यही है कि लोक सभा की कालावधि 7 वर्ष क्यों की जाये?

तत्पश्चात् लोक सभा शनिवार 30 अक्तूबर, 1976/8 कार्तिक, 1898 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Saturday **October** 30, 1976|*Kartika* 8, 1898 (*Saka*)